

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2016—आश्विन 1, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2016

क्र. एफ. 01-08-2015-सात-शा.-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन, इन्दौर तहसील को 08 तहसीलों का दर्जा दिये जाने के संबंध में निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में

उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर की सीमाओं में परिवर्तन करने, कॉलम (2) में दर्शायी गई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. इस प्रस्ताव पर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और उसके संबंध में कोई आपत्तियां सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे :—

अनुसूची

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का प्रकार	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निरंजनपुर	निरंजनपुर	इन्दौर	वर्तमान तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 लगायत 05 के पटवारी हल्के 01 लगायत 05 कुल ग्राम 12 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील निरंजनपुर में 05 पटवारी हल्के एवं 12 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय निरंजनपुर होगा.	पूर्व में —प्रस्तावित तहसील विजयनगर. पश्चिम में —प्रस्तावित तहसील मल्हारगंज. उत्तर में —तहसील सांवेर. दक्षिण में —प्रस्तावित तहसील राऊ एवं तहसील जूनी इन्दौर.
2	विजयनगर	खजराना	इन्दौर	वर्तमान तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त-6 लगायत 13 के पटवारी हल्के 06 लगायत 13 कुल ग्राम 13 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील विजयनगर में 08 पटवारी हल्के एवं 13 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय खजराना होगा.	पूर्व में —प्रस्तावित तहसील खुडैल. पश्चिम में —प्रस्तावित तहसील निरंजनपुर. उत्तर में —तहसील सांवेर. दक्षिण में —प्रस्तावित तहसील संयोगितागंज.
3	मल्हारगंज	गाडराखेडी	इन्दौर	वर्तमान तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त-14 लगायत 17 के पटवारी हल्के 14 लगायत 18 कुल ग्राम 08 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील मल्हारगंज में 05 पटवारी हल्के एवं 08 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय गाडराखेडी होगा.	पूर्व में —प्रस्तावित तहसील निरंजनपुर. पश्चिम में —तहसील हातोद एवं प्रस्तावित तहसील राऊ. उत्तर में —तहसील हातोद. दक्षिण में —प्रस्तावित तहसील राऊ.
4	राऊ	राऊ	इन्दौर	वर्तमान तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त-18 लगायत 26 के पटवारी हल्के 19 लगायत 34 कुल ग्राम 23 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील राऊ में 16 पटवारी हल्के एवं 23 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय राऊ होगा.	पूर्व में —प्रस्तावित तहसील जूनी इन्दौर. पश्चिम में —तहसील देपालपुर. उत्तर में —प्रस्तावित तहसील मल्हारगंज. दक्षिण में —तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर (महू).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	जूनी इन्दौर	कलेक्टोरेट प्रांगण, इन्दौर.	इन्दौर	वर्तमान तहसील, इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त-27 लगायत 32 के पटवारी हल्के 35 लगायत 46 कुल ग्राम 14 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील जूनी, इन्दौर में 12 पटवारी हल्के एवं 14 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय कलेक्टोरेट प्रांगण, इन्दौर होगा.	पूर्व में—प्रस्तावित तहसील, संयोगितागंज. पश्चिम में—प्रस्तावित तहसील, राऊ. उत्तर में—प्रस्तावित तहसील, निरंजनपुर. दक्षिण में—तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, (महू).
6	संयोगितागंज	पिपल्याहाना	इन्दौर	वर्तमान तहसील इन्दौर, के राजस्व निरीक्षक वृत्त-33 लगायत 39 के पटवारी हल्के 47 लगायत 56 कुल ग्राम 14 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील संयोगितागंज में 10 पटवारी हल्के एवं 14 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय पिपल्याहाना होगा.	पूर्व में—प्रस्तावित तहसील कम्पेल एवं खुडेल. पश्चिम में—प्रस्तावित तहसील जूनी, इन्दौर. उत्तर में—प्रस्तावित तहसील, विजयनगर. दक्षिण में—प्रस्तावित तहसील, कम्पेल.
7	खुडैल	काजीपालास्या	इन्दौर	वर्तमान तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त-40 एवं 41 के पटवारी हल्के 57 लगायत 75 कुल ग्राम 50 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील खुडैल में 19 पटवारी हल्के एवं 50 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय काजीपालास्या होगा.	पूर्व में—तहसील व जिला देवास. पश्चिम में—प्रस्तावित तहसील विजयनगर. उत्तर में—तहसील, सांवेर. दक्षिण में—प्रस्तावित तहसील, कम्पेल.
8	कम्पेल	कम्पेल	इन्दौर	वर्तमान तहसील, इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त-42 एवं 43 के पटवारी हल्के 76 लगायत 90 कुल ग्राम 33 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील कम्पेल में 15 पटवारी हल्के एवं 33 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय कम्पेल होगा.	पूर्व में—तहसील वागली, जिला देवास. पश्चिम में—प्रस्तावित तहसील संयोगितागंज. उत्तर में—प्रस्तावित तहसील खुडैल. दक्षिण में—तहसील बड़वाह, जिला खरगौन एवं तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, (महू).

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, अपर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 2172-2450-2016-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है :-

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भिण्ड	भिण्ड	श्रीमती तृप्ति पाण्डेय II CJ-II & JMFC

No. 2172-2450-2016-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bhind	Bhind	Smt. Tripti Pandey II CJ-II & JMFC.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्र. 01-अ-82-2015-16-ई.नं.-247.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में वांकली तालाब योजना, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत, ग्राम वांकली एवं काचरिया जाट के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम : कराड़िया व विशन्या, तहसील सीतामऊ

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर)		
		सिंचित (3)	असिंचित (4)	कुल (5)
(1)	(2)			
1	ग्राम वांकली	25.800	3.230	29.030
2	ग्राम काचरिया जाट	13.230	7.510	20.740

बांकली तालाब योजना

ग्राम बांकली व काचरिया जाट, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर

अनुसूची (2)

बांकली तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	नाम कृषक मय पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा			अन्य मलकियत
				सिंचित (5)	असिंचित (6)	कुल (7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	रेखाबाई पति तेजसिंह गुर्जर	438/1	0.270	0.270	-	0.270	
2	राधाबाई पति बालुसिंह गुर्जर	438/2	0.260	0.260	-	0.260	
3	मेघसिंह पिता माधुसिंह बगेरा गुर्जर	442	3.030	0.250	0.000	0.250	
4	मांगीबाई बेवा शिवसिंह गुर्जर	438/3	0.520	0.400	0.000	0.400	
5	बालुसिंह पिता शंकरसिंह गुर्जर	439	1.050	0.900	0.000	0.900	
6	अर्जुनसिंह पिता हरिसिंह राजपुत, निवासी काचरिया.	467 478/2/2 468/1	0.840 0.260 0.300	0.840 0.260 0.300	0.000 0.000 0.000	0.840 0.260 0.300	कुआ कच्चा 1
योग :			1.400	1.400	0.000	1.400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	भंवर पिता मोती गुर्जर	472	0.710	0.710	0.000	0.710	कुआ कच्चा 1
8	मांगु पिता हिरा नाई	470/1	0.520	0.400	0.000	0.400	
9	मदन पिता हिरा नाई	470/2	0.530	0.530	0.000	0.530	
10	बापुलाल, दूलेसिंह पिता भुवान वगैरा गुर्जर	471	0.520	0.420	0.000	0.420	
11	दशरथ, घनश्याम पिता पुरूषोत्तम ब्राह्मण, अनुसुईया बाई बेवा पुरूषोत्तम.	473	0.420	0.320	0.000	0.320	
12	मानसिंह, लालसिंह पिता शवा गुर्जर	474/1	0.010	0.000	0.010	0.010	कुआ कच्चा 1
13	मानसिंह पिता शवा गुर्जर	474/2	0.220	0.120	0.000	0.120	
14	लालसिंह पिता शवा गुर्जर	474/3	0.220	0.220	0.000	0.220	
15	अमरसिंह, बादरसिंह पिता मानसिंह वगैरा गुर्जर.	475/1 475/4	0.020 0.210	0.000 0.210	0.020 0.000	0.020 0.210	कुआ कच्चा 1
	योग :		0.230	0.210	0.020	0.230	
16	कचरूसिंह पिता फतेहसिंह गुर्जर	475/2 485	0.610 0.400	0.610 0.400	0.000 0.000	0.610 0.400	
	योग :		1.010	1.010	0.000	1.010	
17	श्यामुबाई पति कचरूसिंह गुर्जर	475/3	0.210	0.210	0.000	0.210	
18	फरिद हुसैन पिता अब्दूल अजीज मुसलमान, निवासी माही डेम बांसवाडा राज. (हाल मु. सुवासरा).	441	0.470	0.470	0.000	0.470	कुआ कच्चा 1
19	गोकुल पिता नाथूसिंह गुर्जर	469	0.840	0.840	0.000	0.840	कुआ कच्चा 1
20	बादरसिंह पिता हरिसिंह गुर्जर	466/2 465/2/2	0.800 0.530	0.800 0.530	0.000 0.000	0.800 0.530	
	योग :		1.330	1.330	0.000	1.330	
21	मानसिंह पिता अमरा गुर्जर	387 388	0.730 0.570	0.080 0.400	0.000 0.000	0.080 0.400	
	योग :		1.300	0.480	0.000	0.480	
22	उंकारसिंह बापुसिंह पिता सालगराम, भेरूसिंह पिता रामसिंह, गोकुलसिंह, अमरसिंह पिता भंवरसिंह, गुलाबबाई बेवा भंवरसिंह गुर्जर, सज्जनसिंह, मानसिंह, लालसिंह, सुगनबाई, मोहबबाई पिता शिवसिंह राजपूत व मांगु मदन पिता हिरा नाई, रामचंद्र, सरतानबाई, कारीबाई कशन भमौरी पिता रतन बलाई, धन्ना पिता स्वरूप, जुझारलाल शंकर पिता पुरा सत्यनारायण पिता अमरा चमार वगैरा गृहस्वामी.	476	6.270	0.050	1.950	2.000	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		
23.	दुलेसिंह पिता परथेसिंह गुर्जर	479/1	1.490	1.490	0.000	1.490	कुआ कच्चा-1
		480	0.600	0.600	0.000	0.600	
		389/1	1.130	0.100	0.000	0.100	
		योग :	3.220	2.190	0.000	2.190	
24.	अश्विनी पिता अशोक कुमार पाटीदार निवासी बड़ी चौपाटी बड़नगर रोड तेहसील बदनावर, जिला धार.	479/2	2.090	2.090	0.000	2.090	कुआ कच्चा 2
25.	पर्वतसिंह, उमरावसिंह, जोरावरसिंह, शंकरसिंह पिता उंकारलाल.	481	0.250	0.250	0.000	0.250	
		484	3.640	0.400	0.000	0.400	
		507	0.970	0.200	0.000	0.200	
		योग :	4.860	0.850	0.000	0.850	
26.	उंकारसिंह, बापुसिंह पिता सालगराम गुर्जर	482	1.670	0.670	0.000	0.670	
		508	0.630	0.000	0.200	0.200	
		योग :	0.800	0.670	0.200	0.870	
27.	भगवानसिंह पिता नाथू सिंह गुर्जर	498	0.400	-	0.400	0.400	
28.	गंगाराम पिता नागु वगैरा गुर्जर	499	0.410	0.250	0.000	0.250	
29.	गोकुलसिंह बट्टीलाल, शंकरलाल पिता निर्भयसिंह गुर्जर.	500	0.400	0.250	0.000	0.250	
30.	लीलाबाई पति कंवरलाल जाट निवासी काचरिया.	509	0.840	0.400	0.000	0.400	
31.	मेहताब बाई बेवा मेहताब सिंह गुर्जर वगैरा.	466/1	1.660	0.200	0.000	0.200	
32.	बालुसिंह, रुघनाथसिंह पिता रामा गुर्जर	460/2	1.840	0.000	0.100	0.100	
33.	अमरसिंह पिता भेरूसिंह गुर्जर	486/1	0.630	0.330	0.000	0.330	
34.	उदयसिंह पिता भेरूसिंह गुर्जर	486/2	0.650	0.300	0.000	0.300	कुआ कच्चा 1
35.	गोकुल सिंह पिता शंकर सिंह गुर्जर meen-1	497	0.200	0.200	0.000	0.200	
36.	बट्टीसिंह पिता निर्भयसिंह गुर्जर meen-2	497	0.200	0.200	0.000	0.200	
37.	रुकमणबाई पति बालुसिंह गुर्जर	502/1	0.420	0.220	0.000	0.220	
38.	मांगीलाल पिता नन्दा चमार	502/2	1.460	0.250	0.000	0.250	कुआ कच्चा-1
39.	शंभूलाल पिता रामचंद्र बलाई	487	1.150	0.100	0.000	0.100	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
40.	भोपालसिंह पिता हरिसिंह राजपूत	468/2	0.280	0.280	0.000	0.280
		478/2/1	1.480	1.480	0.000	1.480
		योग :		1.760	0.000	1.760
41.	शिवसिंह पिता गोकुलसिंह गुर्जर	417/ min-1	2.370	0.200	0.000	0.200
42.	अर्जुनसिंह, भोपालसिंह पिता हरिसिंह	478/2/5	0.020	0.000	0.020	0.020
43.	रोड़ीबाई पति बगदू गुर्जर	461/1	0.400	0.100	0.000	0.100
		463/2	0.200	0.050	0.000	0.050
		योग :	0.600	0.150	0.000	0.150
44.	पवन कुंवर बेवा पर्वत सिंह व दशरथ सिंह, मागुसिंह, पप्पूसिंह, कोमलसिंह पिता पर्वतसिंह काचरिया.	478/1	3.530	3.000	0.530	3.530
45.	नाहरसिंह पिता हरिसिंह राजपूत काचरिया	478/2/3	0.590	0.590	0.000	0.590
46.	कुशलसिंह पिता हरिसिंह राजपूत, काचरिया	478/2/4	0.600	0.600	0.000	0.600
47.	श्यामसिंह पिता नागुसिंह गुर्जर	417 min-2	0.200	0.200	0.000	0.200
		महायोग :	53.740	25.800	3.230	29.030

ग्राम-काचरिया

स. क्र.	नाम कृषक मय पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा			अन्य मलकियत
(1)	(2)	(3)	(4)	सिंचित	असिंचित	कुल	(8)
1	महेन्द्र सिंह पिता लालसिंह राजपूत	300	1.100	0.100	0.000	0.100	कच्चा कुंआ
		307	0.530	0.200	0.000	0.200	कुआ पक्का
		308	1.550	0.800	0.000	0.800	आर. सी.
		311	0.370	0.370	0.000	0.370	सी. में.
		योग :	3.550	1.470	0.000	1.470	
2.	बगदीराम पिता मांगीलाल	302/2	0.530	0.250	0.000	0.250	
3.	गोपाल पिता मांगीलाल	302/3	0.510	0.000	0.260	0.260	
4.	भूलीबाई पति रमेश जाट	309	0.550	0.550	0.000	0.550	
5.	राजेश पिता रमेशचन्द्र महाजन	310	0.550	0.550	0.000	0.550	
6.	रूपसिंह पिता रोड़सिंह राजपुत	322	0.630	0.630	0.000	0.630	
		324	0.330	0.000	0.330	0.330	
		योग :	0.960	0.630	0.330	0.960	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	प्रेम कुंवर बेवा भंवरसिंह गणपतसिंह जीवनसिंह पिता भंवरसिंह.	1303/3 1304/2/2 1311/1 1305/2/2 योग :	0.200 0.360 0.320 0.120 1.000	0.200 0.360 0.010 0.120 0.690	0.000 0.000 0.310 0.000 0.310	0.200 0.360 0.320 0.120 1.000	
8.	नाहरसिंह पिता हरिसिंह राजपूत	327/1 1303/2 1304/2/1 1305/2/1 योग :	0.230 0.200 0.370 0.110 0.910	0.000 0.200 0.370 0.110 0.680	0.230 0.000 0.000 0.000 0.230	0.230 0.200 0.370 0.110 0.910	
9.	पवन कुंवर बेवा पर्वतसिंह दरबार सिंह मागूसिंह, पप्पूसिंह, कोमलसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत.	327/2 1301/1 1304/1 1305/1 1307 1308/1 1313 योग :	0.230 0.340 0.220 0.600 0.900 0.300 2.270 4.860	0.000 0.340 0.220 0.600 0.900 0.300 2.000 4.360	0.230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.270 0.500	0.230 0.340 0.220 0.600 0.900 0.300 2.270 4.860	
10.	प्रकाश पिता उंकारलाल जाट	328 329 meen-1 योग :	0.460 0.840 1.300	0.460 0.840 1.300	0.000 0.000 0.000	0.460 0.840 1.300	
11.	मोतीलाल पिता कालुराम जाट	339	0.620	0.000	0.620	0.620	
12.	ताजबी बेवा अमीरखान, अलीखान, सलीम खान, अजीमखान, रईसखान पिता अमीरखान, साबजहां बी बेवा अजगरखान, मखमदखान, शेरआमखान, फजलुरहमान, अमजदखान पिता अजगरखान, जोहराबी बेवा मिरबाजखान, इमरान खान पिता मिरबाजखान, मामराजखान, शाहनवाज खान, गुलजारखान, अमीरजादा पिता चिमनखान जाति मुसलमान, बाबरखान, जब्बारखान, गफ्फर खान, सलीमखान, उमरखान, रूस्तमखान, पिता शेखबहादुर खान, जाति मुसलमान निवासी यान बैलारी.	1312	0.430	0.200	0.230	0.430	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	पुष्पेन्द्रसिंह पिता लालसिंह राजपुत	301 meen-1	1.100	0.000	0.300	0.300	
14.	लक्ष्मणसिंह पिता लालसिंह राजपुत	301 meen-2	1.000	0.000	0.300	0.300	
15.	लालसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत	301 meen-3	2.350	0.000	0.350	0.350	
16.	रामेश्वर पिता दोला जाट	335 meen-1	1.200	0.000	0.300	0.300	
17.	शिवलाल, कैलाश पिता लक्ष्मण व रामीबाई बेवा लक्ष्मण जाट.	335 meen-2 329 meen-2 1299 meen-2 1300 योग :	0.300 0.660 0.040 0.070 1.070	0.300 0.660 0.000 0.070 1.030	0.000 0.000 0.040 0.000 0.040	0.300 0.660 0.040 0.070 1.070	
18.	हिरालाल पिता मांगीलाल मिरासी	330	0.200	0.200	0.000	0.200	
19.	हिरालाल खां, मुस्ताक खां, पिता मांगीलाल खां मिरासी.	1298	0.620	0.400	0.000	0.400	
20.	करणसिंह पिता मानसिंह राजपुत	326	0.620	0.000	0.620	0.620	
21.	कुशलसिंह पिता हरिसिंह राजपुत	1308/2 1303/1 1304/2/3 1305/2/3 1310/2 योग :	0.100 0.100 0.270 0.120 1.080 1.670	0.100 0.100 0.270 0.120 0.000 0.590	0.000 0.000 0.000 0.000 1.080 1.080	0.100 0.100 0.270 0.120 1.080 1.670	
22.	नागुराम पिता गंगाराम नाई	342	0.130	0.130	0.000	0.130	
23.	नाहरसिंह पिता हरिसिंह राजपुत व ब. नं. 327/1	1311/2	0.860	0.000	0.860	0.860	
24.	भोपालसिंह पिता हरिसिंह राज.	1310/1 1311/3 योग :	0.080 0.520 0.600	0.000 0.000 0.000	0.080 0.520 0.600	0.080 0.520 0.600	
25.	अर्जुनसिंह पिता हरिसिंह राजपुत	321 meen-1 meen-2	0.580	0.000	0.580	0.580	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26.	बापुसिंह पिता रूपसिंह राजपुत	321	0.200	0.200	0.000	0.200	
		meen-2					
		meen-3					
		योग :	27.97	13.230	7.510	20.740	

1. सावर्जनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बांकली तालाब योजना हेतु.
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 27 अगस्त 2016

क्र. 2363-भू-अर्जन-16.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि /परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर फेस-2 के निर्माण के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (क) ग्राम का नाम—कोठडा
- (ख) तहसील—कनौद
- (ग) जिला—देवास
- (घ) कुल प्रस्ताव—1

क्र.	पूरा नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमति सकीलाबाई पति रमजान, जाति मुसलमान	12/2	0.022
2	श्री राकेश कुमार पिता श्री राम उपाध्यक्ष, जाति ब्राम्हण	12/3	0.0132
3	श्री हनीफ पिता रायमल खां, जाति मेवाती	11/2	0.061
4	श्री अफजल पिता रायमल खां, जाति मेवाती	11/3	0.061
5	श्री मकबूल पिता रायमल खां, जाति मेवाती	11/4	0.088
6	श्री रमजान पिता भागमल, जाति मेवाती	19/4	0.008
7	श्री रहीस पिता भागमल, जाति मेवाती	19/5	0.017
8	श्री रहीस पिता भागमल, जाति मेवाती	20	0.08
9	श्री असलम पिता रायमल, जाति मेवाती	21/4	0.05
10	श्री राकेशकुमार पिता श्री राम उपाध्यक्ष, जाति ब्राम्हण	45	0.01
11	श्री असगर पिता मलखान, जाति मेवाती	47	0.63

(1)	(2)	(3)	(4)
12	श्री उमर पिता हीरे खां, जाति मेवाती	48	0.13
13	श्री भागमल पिता बाबु खां, जाति मेवाती	50/1	0.17
14	श्री हेदर पिता जमाल, जाति पिंजारा	59	0.02
15	श्री मुकेश पिता श्यामलाल, जाति तेली	301/1	0.06
16	श्रीमति बसुबाई पिता राधेश्याम, जाति तेली	313	0.07
17	श्री हसन खां पिता ईस्टाईल खां, जाति पिंडारा	294	0.01
18	श्रीमति विमिता पति दिनेश मानधन्या, जाति महाजन	292/5	0.07
19	श्री राधेश्याम पिता मोतीलाल, जाति तेली	299	0.11
20	श्री दिनेश पिता मदन लाल, जाति तेली	300/1	0.039
21	श्री लक्ष्मीनारायण पिता मदनलाल, जाति तेली	300/2	0.039
22	श्री हरिओम पिता मदनलाल, जाति तेली	300/3	0.039
23	श्रीमति ईंदरबाई पिता हीरालाल, जाति लोधा	290/369	0.0132
24	श्री रजाक पिता ईस्माईल खां, जाति पिंजारा	291	0.11
25	श्री कन्हैयालाल पिता हिरालाल, जाति लोधा	290/1	0.24
26	श्री राजाराम पिता हिरालाल जाति लोधा	289	0.09
27	श्री कन्हैयालाल, राजाराम, मैवालाल, केवलराम, संतराम, सोनारायण पिता हीरालाल.	288	0.07
28	श्री केवलराम पिता हीरालाल जाति लोधा	287	0.13
29	श्रीमती नर्मदाबाई उर्फ नबीबाई पिता मोहनलाल, जाति जाटव	283/1	0.15
30	श्रीमती गीताबाई पिता अनोखीलाल, जाति जाटव	283/2	0.03
31	श्रीमति ज्योतिबाई पिता लखनलाल, जाति जाटव	283/3	0.022
32	श्री रमजान खां पिता उमर खां, जाति मेवाती	12/1	0.12

कुल सर्वे नम्बर-32

कुल प्रस्ताव-1

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
- (3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

देवास, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. 2404-भू-अर्जन-16.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर फेस-2 के निर्माण के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (क) ग्राम का नाम—गादिया
(ख) तहसील—कन्नौद
(ग) जिला—देवास
(घ) कुल प्रस्ताव—1

क्र.	पूरा नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री जलाल पिता बाबू, जाति कोरकू	182/2	0.07
2	श्री जलाल पिता बाबू, जाति कोरकू	185/1/1	0.008
3	श्री जलाल पिता बाबू, जाति कोरकू	185/1/2	0.02
4	श्री किशोर पिता बाबू, जाति कोरकू	185/2	0.08
5	श्री रेखा पिता गोरेलाल, रामौतार, भूरीबाई उर्मिला, पिन्की पिता गोरेलाल.	186/2	0.10
6	श्री किशोर पिता बाबू, जाति कोरकू	187/1	0.03
7	श्री मुकेश पिता शंकरलाल, जाति खाती	190/1	0.08
8	श्री रामजीवन पिता रामेश्वर, जाति खाती	190/3	0.02
9	भगवतीबाई बेवा रामेश्वर, जाति खाती	192/2/1	0.021
10	श्री शंकर लाल पिता नैना, जाति खाती	192/2/2	0.04
11	श्री महेश पिता शंकरलाल, जाति खाती	192/3	0.08
12	श्री आशीष पिता रामेश्वर, जाति खाती	193	0.16
13	श्री बट्टी पिता प्रताप, जाति कुम्हार	198	0.24
14	श्री संतोष पिता नैना, जाति खाती	209/1	0.09
15	श्री सुनील पिता चुन्नीलाल, जाति जाट	212/1	0.23
16	जेबूनबाई, रूबीनाबाई, वि.भेरू शेरजबी मेरानबी जाबीर जुबेर पि. शेरू, आ.प.कर्ता माँ रूबीनाबाई वि. शेरू.	212/2	0.08
17	जेबूनबाई, रूबीनाबाई, वि.भेरू शेरजबी मेरानबी जाबीर जुबेर पि. शेरू, आ.प.कर्ता माँ रूबीनाबाई वि. शेरू.	213/2	0.13
18	श्री रहीस खां पिता हंसना, जाति मेवाती	318/1	0.02
19	श्री महेश पिता शंकरलाल, जाति खाती	191	0.088
20	श्री संतोष पिता नैना, जाति खाती	210/2	0.022

कुल सर्वे नम्बर-20

कुल प्रस्ताव-1

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- (3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्र. 547-भू-अर्जन-2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

बांध के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किया जा चुका है। बांध निर्माण, डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु आंशिक भूमि की आवश्यकता होने से भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। प्रभावित भूमि के कारण विस्थापन नहीं किया जाना है, इस कारण से धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सार प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	कुसुम्बिया	वन परिक्षेत्र चिरिया के कक्ष क्रमांक 937 की दिनांक 13-12-2005 तक अतिक्रमित वनभूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त वनभूमि है। क्षेत्रफल 11.854 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	करेली नाला तालाब के बांध निर्माण, डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

- नोट :—(1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।
- (2) भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक 6-एमपीसी 24-2012-बीएचओ-731, दिनांक 31 मार्च 2014 के द्वारा करेली नाला तालाब के बांध निर्माण, डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण के उपयोग की स्वीकृति निर्माण विभाग के द्वारा प्राप्त की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 9 सितम्बर 2016

प्र.क्र. 01-अ-82-2015-16.—प्र.क्र. 01-अ-82-2014-15.—ग्राम हनुमना सागर, चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष से आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-14-सात-2-ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

1. परियोजना का नाम—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु
2. भूमि का विवरण—ग्राम-हनुमान सागर, तहसील-टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-0.530 हेक्टेयर.

अनुसूची

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रामकुंवर वेवा वृजलाल बाबू तनय वृजलाल खरगी सुदामा हल्कीवेन भुअन पुत्री वृजलाल, जाति काछी, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	528	0.198	0.010
			योग :	0.198
2.	बाबूलाल तनय वृजलाल कुशवाहा, जाति कुशवाहा, पता नि. टीकमगढ़, 1/2 भाग भूमि स्वामी महिला गंगी पत्नि बाबूलाल कुशवाहा, जाति कुशवाहा, पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी.	530/1 540	0.150 0.194	0.035 0.100
			योग :	0.344
3.	वीरेन्द्र कुमार टुडुवा, जाति लोधी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00.	764/1/ख/मिन-1	0.740	0.140
			योग :	0.740
4.	मु. कौसिया पत्नि सरमना रतन तनय लछमन, जाति गड़रिया पता नि. ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी नावा. रतन तनय सरमना सं. मा. कौसिया बेवा सरमना, जाति गड़रिया, पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.75.	761/4/1 761/5	0.301 0.053	0.115 0.030
			योग :	0.354

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	गुमान, केशव तनय प्यारेलाल. जाति ढीमर, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.82.	782/3/1	0.225	0.100
		योग :	0.225	0.100
		कुल योग :	1.876	0.530

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण-टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 04-अ-82-2015-16.—प्र.क्र. 04-अ-82-2014-15.—ग्राम नयाखेरा, चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष से आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-14-सात-2-ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

- परियोजना का नाम—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु.
- भूमि का विवरण—ग्राम-नयाखेरा, तहसील-टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-2.424 हेक्टेयर.

अनुसूची

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सुक्कन तनय रगू जाति यादव, पता बौरी भूमि स्वामी भू-राजस्व-1.00.	310 311	0.142 0.097	0.124 0.040
		योग :	0.239	0.164
2.	मु. विट्टन बेवा गुरूदयाल, राजाबेटी पुत्री गुरूदयाल, जाति यादव, पता निवासी ग्राम हि. 1/5 भाग भूमि स्वामी नत्थू भुमानीदास, गोविन्द तनय गुरूदयाल, जाति यादव, पता निवासी ग्राम हि. 4/5 बराबर भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.31.	313 321 322	0.186 0.174 0.227	0.065 0.136 0.025
		योग :	0.587	0.226

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	रामसिंह तनय छोटेलाल प्रभू तनय हल्कू, जाति यादव पता निवासी ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.56.	323 325/1	0.514 0.864	0.250 0.050
		योग :	1.378	0.300
4.	कच्छेदी रामकिशोर तनय मुलाम, जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 1.00	328 354	0.352 0.291	0.019 0.061
		योग :	0.643	0.080
5.	सुखदयाल तनय कनई, जाति यादव, पता ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.69	363	0.198	0.058
		योग :	0.198	0.058
6.	मु. गनेशी बाई बेवा पृथ्वी नाथूराम अखिलेश, दिनेश, तनय पृथ्वी, जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.06	359 358 357	0.016 0.121 0.093	0.008 0.060 0.018
		योग :	0.230	0.086
7.	पंखी पुत्री गोरेलाल रामदास किशन तनय गोरेलाल जाति यादव, पता ग्रामी 2/5 भाग भूमि स्वामी शिम्बू बेवा बल्दू भगताराम नंदराम मथरा तनय बल्दू सुकनबाई पुत्री बल्दू जाति यादव, पता ग्रामी 1/10 भाग भूमि स्वामी पृथ्वी तनय राजधर, जाति यादव, पता ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.31.	356	0.117	0.020
		योग :	0.117	0.020
8.	वृषभान तनय प्यारेलाल जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.91	390/1	0.675	0.055
		योग :	0.675	0.055
9.	भैयादीन तनय पुत्तिलाल जाति यादव, पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.91	390/2 392/2	0.675 0.070	0.315 0.015
		योग :	0.745	0.330
10.	नंदलाल तनय दुर्जुवा 1/8 हि. मु. कलावती बेवा नारायण प्रमोद चंद्रभान मनोहर तनय नारायण विनिया बेवा रम्पला किशू श्यामलाल तनय रम्पता 1/8 हि. गुन्नु पन्ना तनय जवरा लछिया पुत्री जवरा 1/12 हि. कूरा तनय गनू 1/8 हि. अहिरवार वृषभान तनय प्यारेलाल यादव, भैयादीन तनय पुरुषोत्तम यादव 1/2 हि. पता निवासी ग्रामी भूमि स्वामी.	389	0.020	0.020
		योग :	0.020	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	श्रीमती चन्द्रप्रभा भैयादीन, जाति यादव, पता नि. नूतन बिहार का. टीकमगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.50.	446 447 448 449 450 451	0.332 0.053 0.380 0.105 0.142 0.648	0.004 0.005 0.085 0.035 0.035 0.080
		योग :	1.660	0.244
12.	श्रीमति लल्लाबाई पत्नि मन्नूलाल प्रजापति नि. छतरपुर श्रीमति मौहनी पत्नि कमलेश कुमार प्रजापति पता नि. टीकमगढ़ समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 17.06.	439	2.601	0.250
		योग :	2.601	0.250
13.	बृजेन्द्र कुमार तनय ज्वालाप्रसाद 1/2 श्याम देवी बेवा वासुदेव वीरेन्द्र अरून राघवेन्द्र जाति कायस्थ, पता नि. टीकमगढ़ भूमि स्वामी जितेन्द्र शैलेन्द्र तनय वासुदेव 1/2 जाति कायस्थ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.56.	437	1.161	0.050
		योग :	1.161	0.050
14.	मरियम पत्नि बाबू खां अकबर अशगर इसहाक तनय बाबू खां 4/5 मु. मुन्नी बेवा याकूब खां अजमेरी अल्लाफ तनय याकूब 1/5 जाति, कुंजरे पता नि. टीकमगढ़, भूमि स्वामी भू-राजस्व 17.69	4.30	5.718	0.195
		योग :	5.718	0.195
15	मु. तिज्जी बाई बेवा पेश मुहम्मदगनी मुह. शम्भु खां शब्बीर राईन शकील राईन नसीम राईन अजीम आजाद जैन उलवशर मुह. शहजाद तनय पेश मुह. जाति कुंजरे पता नि. टीकमगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00	422/1	1.619	0.346
		योग :	1.619	0.346
		कुल योग :	17.591	2.424

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण-टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. 10173-व.लि.-2016.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के अधिसूचना क्रमांक एफ-3-5-2016-1-4, दिनांक 16 अगस्त 2016 के तहत मैं, कलेक्टर, जिला धार, वर्ष 2016 के त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उपनिर्वाचन-2016 (पूर्वाह्न) हेतु आयोग द्वारा जारी परिशिष्ट-एक एवं संशोधित परिशिष्ट-दो के अनुसार मतदान दिनांक 22 अगस्त 2016 सोमवार को जिले के मनावर जनपद पंचायत के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता हूँ.

उपरोक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्रम लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता हूँ.

श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 26 अगस्त 2016

प्र. क्र. 03-अ-3-2015-16.—प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम से उनके प्रकरण क्रमांक 324-बी-121-14-15 में अनुशंसा टीप दिनांक 12 जुलाई 2016 सहित तहसीलदार, तहसील रतलाम के प्रकरण क्रमांक 228-बी-121-15-16 में जांच प्रतिवेदन दिनांक 11 जुलाई 2016 सहित प्राप्त.

(2) अधीनस्थ तहसीलदार, तहसील रतलाम द्वारा ग्राम पंचायत गोपालपुरा के ग्राम ताजपुरिया के मजरा सामरखो को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु राजस्व निरीक्षक से प्रस्ताव प्राप्त किया गया. तहसीलदार, रतलाम द्वारा संपूर्ण जांच उपरान्त मय अनुशंसा के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम को भेजे जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम द्वारा ग्राम पंचायत गोपालपुरा के ग्राम ताजपुरिया के मजरा सामरखो को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को भिजवाया गया.

(3) अधीनस्थ न्यायालय के जांच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 73 के तहत नीचे उल्लेखानुसार ग्राम पंचायत गोपालपुरा के ग्राम ताजपुरिया के मजरा सामरखो को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है, तालिका में उल्लेखानुसार शेष रकबा मूल ग्राम ताजपुरिया में यथावत रहेगा :—

तहसील	मूल ग्राम एवं प. ह. नं.	प्रस्तावित राजस्व ग्राम	खाता	गैर खाता	कुल सर्वे क्रमांक	खाता क्षेत्रफल	गैर खाता	कुल क्षेत्रफल	जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
रतलाम	ताजपुरिया	सामरखो	19	29	48	44.180	275.150	316.330	280

प.ह.नं.-43.

अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला रतलाम उक्त राजस्व ग्राम के अभिलेख तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे.

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्र. 372-मंडी निर्वा. -2016-17.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. धनराजू, कलेक्टर, सिवनी, मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी,

(लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के अंतर्गत सिवनी जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्र. मंडी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मंडी अधिनियम की धारा
(1) (2)	(3)	(4)
1 सिवनी		
(1) श्री सतीश पिता विनोद शुक्ला, अकबर वार्ड एकता कालोनी सिवनी, सांसद प्रतिनिधि.		मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में लोकसभा सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, सिवनी के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.
(2) श्री श्याममिलन पाण्डे, ग्राम गरठिया, थाना बण्डोल, जिला सिवनी, विधायक प्रतिनिधि.		मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में विधानसभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समिति, सिवनी के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.
(3) श्री एन. के. जैन, सहायक संचालक कृषि विकास, सिवनी.		मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (च) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, सिवनी के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.
(4) श्रीमती गीता डहेरिया, जिला पंचायत सदस्य, सिवनी.		मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ज) के अनुक्रम में जिला पंचायत, सिवनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, सिवनी के सदस्यके लिये एतद्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूँ.
2 छपारा		
(1) श्री कृष्णकांत सिंह ठाकुर, सहकारी प्रक्रिया एवं विपणन संस्था मर्या., छपारा.		मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ड) के अनुक्रम में सहकारी विपणन संस्था के सदस्य के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, छपारा के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.
(2) श्री आर. के शेन्डे, सहायक संचालक, कृषि विकास, छपारा.		मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (च) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, छपारा के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.
(3) सुश्री संगीता बरकडे, जिला पंचायत सदस्य, सिवनी.		मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ज) के अनुक्रम में जिला पंचायत, सिवनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, छपारा के सदस्य के लिये एतद्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(1) (2)

(3)

(4)

3 लखनादौन

(1) श्री दिनेशसिंह ठाकुर पिता स्व. श्री गिरवरसिंह ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि, मुकाम धौरिया, पोस्ट देवरी, तह. लखनादौन.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में विधानसभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(2) श्री योगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सहकारी प्रक्रिया एवं विपणन संस्था मर्या., लखनादौन.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ड) के अनुक्रम में सहकारी विपणन संस्था के सदस्य के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, लखनादौन के सदस्य के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(3) श्री जे. के. राठी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, विकास लखनादौन.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (च) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, लखनादौन के सदस्य के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(4) श्री रविशंकर अहके, जिला पंचायत सदस्य, सिवनी.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ज) के अनुक्रम में जिला पंचायत, सिवनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, लखनादौन के सदस्य के लिये एतद्द्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

4 घंसौर

(1) श्री धरमसिंह उइके पिता छब्बी लाल उइके, छीतापार, पो. घंसौर, जिला सिवनी.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में विधानसभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(2) श्री के. डहेरिया, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, घंसौर

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (च) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, लखनादौन के सदस्य के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(3) श्रीमती चित्रलेखा नेताम, जिला पंचायत सदस्य, सिवनी.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ज) के अनुक्रम में जिला पंचायत, सिवनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, घंसौर के सदस्य के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

5 केवलारी

(1) श्री प्रीतमसिंह उइके, विधायक प्रतिनिधि, ग्राम सुकतरा, पोस्ट गंगाटोला, विकासखण्ड, केवलारी.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में विधानसभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(1) (2)

(3)

(4)

(2) श्री मोरिसनाथ,
अनुविभागीय अधिकारी, कृषि विकास, केवलारी.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (च) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, केवलारी के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(3) श्रीमती मीना ठाकुर,
जनपद पंचायत सदस्य, केवलारी.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ज) के अनुक्रम में जिला पंचायत केवलारी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, केवलारी के सदस्य के लिये एतद्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

6 पलारी

(1) श्री कृष्णकुमार डेहरिया पिता मिहिलाल डेहरिया,
ग्राम पोस्ट खैरापलारी, विकासखण्ड केवलारी,
जिला सिवनी.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में विधान सभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(2) श्री आई. डी. मेश्राम, सहायक भूमि संरक्षण
अधिकारी, कृषि विकास, पलारी.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (च) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, पलारी के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(4) श्री रणजीत सिंह ठाकुर,
सरपंच, कैरापलारी.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ज) के अनुक्रम में जिला पंचायत, सिवनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, पलारी के सदस्य के लिये एतद्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

7 बरघाट

(1) श्री दिलीप महाजन पिता भेजनलाल महाजन,
वार्ड क्रमांक 1, मूडापार, बरघाट.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में विधान सभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(2) श्री विजय देशमुख, सहायक संचालक,
कृषि विकास, बरघाट.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (च) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, बरघाट के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

(4) श्रीमती विमला बरकडे,
जिला पंचायत सदस्य.

मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ज) के अनुक्रम में जिला पंचायत, केवलारी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, केवलारी के सदस्य के लिये एतद्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूँ.

धनराजू एस., कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 968.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति डबरा, जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 123/10 एवं व्यापारी प्रतिनिधि वार्ड के उप निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1	श्री रामू मांझी पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह उर्फ रघु	कृषक सदस्य	ग्राम भैंसनारी, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर
2	श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व. श्री गोपाल गोयल	व्यापारी सदस्य	गीता टॉकीज चौराहा, सुभाषगंज डबरा, जिला ग्वालियर

संजय गोयल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वा.).

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), बड़वानी, मध्यप्रदेश

शुद्धि-पत्र

मध्यप्रदेश राजपत्र क्र. 25, दिनांक 17 जून 2016

कार्यालय, कलेक्टर, बड़वानी, जिला बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 2424/भू.अ./2016, दिनांक 23 मई 2016
प्र. क्र. 22-अ-82-15-16, ग्राम काकरिया, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी के संदर्भ में.

क्र.	कृषक का नाम (2)	खसरा नम्बर (3)	कुल रकबा (हे. में.) (4)	अर्जित रकबा (हे. में.)			
				सिंचित (5)	असिंचित (6)	पड़त (7)	कुल (8)
(1)	25 द्वारक्या पिता छीपु भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी.	166/11	0.744	0.200	0.186	-	0.386
		168/2/5	0.372	-	0.140	-	0.140
		176/1	1.473	0.780	-	-	0.780
		175/1/5	0.765	-	0.308	0.307	0.615
(1)	26 गीताबाई बेवा नूरसिंग भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी.	167/3/1	0.060	-	0.060	-	0.060
(1)	40 ग्यारसीबाई पति मालसिंग भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी.	230/10	0.121	0.050	-	-	0.050

पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टी

क्र.	कृषक का नाम (2)	खसरा नम्बर (3)	कुल रकबा (हे. में.) (4)	संशोधित प्रविष्टी अर्जित रकबा (हे. में.)			
				सिंचित (5)	असिंचित (6)	पड़त (7)	कुल (8)
(1)	25 द्वारक्या पिता छीपु भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी.	166/11	0.744	0.200	0.186	-	0.386
		168/2/5	0.372	-	0.140	-	0.140
		176/1	1.473	0.780	-	-	0.780
		175/1/5	0.765	-	0.308	0.307	0.615
(1)	26 मीनाबाई बेवा नूरसिंग भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी.	167/3/1	0.060	-	0.060	-	0.060
(1)	40 ग्यारसीबाई पति मालसिंग भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी.	230/10	0.121	0.050	-	-	0.050

शेष खसरा नम्बर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

हृदयेश श्रीवास्तव, भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्र. 01-अ-82-15-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम सांदनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर से ग्राम हरपुरा, तहसील विजावर, जिला छतरपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स एनटीपीसी, लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जाये।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छतरपुर	राजनगर	भैरा / 52	42/1	0.148
			42/2	0.323
			45/1	0.553
			45/2	0.121
			46	0.191
			48	0.350
			49	0.195
			53/2	0.075
			53/3	0.075
			53/4	0.075
			53/5	0.075
			53/6	0.075
			54	0.019
			166	0.058
			167	0.035
			151	0.091
			152	0.040
			142	0.061
			129	0.269
			128	0.032

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			126	0.049
			117/2	0.018
			1263	0.046
			1264	0.166
			1257	0.055
			1281	0.221
			1284	0.060
			1279	0.014
			1282	0.053
			1288/1	0.263
			1291	0.052
			1292	0.053
			1293	0.050
			1294	0.042
			1299/5	0.117
			1441	0.042
			1489	0.117
			1493/2	0.658
			1493/5	0.669
			1653	0.049
			1650	0.138
			1649	0.010
			1818/3	0.609
			1817/4	0.459
			1817/13	0.074
			1817/12	0.422
			1816/3	0.263
			1816/11	0.263
			1816/16	0.184
			72	0.138
			148	0.090
			149	0.080
			127	0.028
			1295	0.069
			1295/1843	0.058
			1299/1854	0.058
			1299/6	0.316
			1490	0.077
			1491	0.049
			1646	0.180
			1647	0.260

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1648	0.100
			1651	0.057
			1818/2	0.110
			1818/4	0.340
			1816/10	0.040
			1313/3	0.190
			1288/2	0.200
			योग :	10.517

- (2) एनटीपीसी बरेठी परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
 (3) भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है।

सोनिया मीणा, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी।

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, विजावर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विजावर, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्र. 08-अ-82-15-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम सांदनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर से ग्राम हरपुरा, तहसील विजावर, जिला छतरपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स एनटीपीसी, लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छतरपुर	विजावर	अमरोनिया / 38	8/1/1	2.000
			8/2	0.235
			8/3	0.040
			8/4	0.202
			8/7	0.049

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			106	0.053
			107/2	0.227
			107/3	0.020
			124/2	0.303
			124/4	0.825
			124/5	0.486
			141/1	0.413
			142/2	0.016
			144/1	0.433
			144/2	0.380
			145/1	0.259
			146	0.290
			206/2/1	0.808
			206/3	0.299
			206/4	0.040
			206/5/1	1.500
			206/5/2	0.235
			727/2/1	0.162
			727/2/2	0.162
			727/2/3	0.162
			727/2/4	0.162
			727/3	0.381
			727/4	0.405
			726/3	0.575
			731	1.222
			210/2	0.295

योग : 12.639

- (2) एनटीपीसी बरेठी परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
 (3) भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, विजावर में किया जा सकता है।

क्र. 07-अ-82-15-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम सांदनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर से ग्राम हरपुरा, तहसील विजावर, जिला छतरपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स एनटीपीसी, लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जाये।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छतरपुर	विजावर	मेतीगढ़ / 41	81	0.628
			80/3	0.202
			72	0.180
			71	0.238
			67	0.159
			66	0.138
			65/2	0.028
			64	0.050
			61	0.040
			1033	0.035
			1036	0.099
			54	1.169
			58	0.235
			57/2	0.063
			57/1	0.030
			1047	0.159
			1064	0.070
			1063	0.085
			1057	0.244
			1072	0.160
1083/2	0.007			
1078	0.789			
1080	0.256			
1117	0.123			
1123/2	0.025			
1118	0.249			
1120	0.170			
1119	0.004			
1121	0.098			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1084	0.757
			90/1	0.229
			90/2/1	0.230
			90/2/2	0.229
			80/1/4	2.000
			80/1/5	1.000
			80/2/2	0.414
			योग :	<u>10.592</u>

एनटीपीसी बरेठी परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, विजावर में किया जा सकता है।

क्र. 06-अ-82-15-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम सांदनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर से ग्राम हरपुरा, तहसील विजावर, जिला छतरपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स एनटीपीसी, लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन (भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छतरपुर	विजावर	देवरा / 42	46/5	0.025
			49/क	1.000
			49/ख	0.115
			104/2/1	0.270
			104/1/क	2.000
			104/1/ख	0.832
			104/1/ग	0.159
			105/1/ग	0.204
			105/2	0.151

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			105/1/क	0.050
			105/1/ख	0.265
			130/1/1	0.129
			130/2	0.130
			126	0.114
			125	0.116
			46/5	0.025
			124	0.104
			122	0.121
			123/1	0.085
			123/2	0.134
			216	0.117
			218/1	0.437
			219	0.270
			229	0.136
			230/3/1	0.071
			230/1/2	0.107
			230/1/4	0.607
			46/5	0.025
			230/2	1.011
			230/3/2	0.405
			226	0.242
			228/1	0.048
			257/1/2	0.710

योग : 10.215

एनटीपीसी बरेठी परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.

रवीन्द्र चौकसे, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ. 87-169-15-ग्या.-407.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपागत किया हो या उपागत

करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुये नगरपालिका परिषद् होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद के आम निर्वाचन में श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06 जनवरी 2015 तक, श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, होशंगाबाद के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी होशंगाबाद के पत्र दिनांक 2 मार्च 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 7 अप्रैल 2015 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 1 अगस्त 2015 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 16 अगस्त 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला होशंगाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 11 जुलाई 2016 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी ने नोटिस तामिली के पश्चात् उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अथवा नोटिस के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी, श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को दिनांक 23 अगस्त 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया किन्तु अभ्यर्थी, श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अभ्यर्थी, श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को जारी सूचना पत्र दिनांक 21 जुलाई, 2016 की तामिली विहित समयावधि में कराई गई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 5 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-69-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 48' 42.20" से N-23° 48' 50.50" उत्तर अक्षांश तथा 75° 54' 12.50" से 75° 54' 22" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—आगर मालवा, तहसील—बड़ौद, वनमंडल—सामान्य शाजापुर वनपरिक्षेत्र—आगर

अनु. क्रमांक	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं (7)
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1) 1	(2) विनायगा	(3) विनायगा	(4) निस्तार चरनोई	(5) 1/1	(6) 5.00	(7) उत्तर—मुनारा क्रमांक 1 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—मुनारा क्रमांक 6 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— मुनारा क्रमांक 7 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 9 से 11 एवं 11 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग :					5.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6MPB063/2010-BHO/1668, दिनांक 27 अगस्त 2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सुजलान एनर्जी लि. इन्दौर की स्वीकृत परियोजना वनमंडल रतलाम में 6 मेगावाट विण्डफार्म परियोजना में प्रभावित 4.24 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 5.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 58अ/19(3)2007-08 में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी 2009 एवं आदेश क्र. रीडर-1/09/671-72, दिनांक 4 दिसम्बर 2009 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बड़ौद के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 24 दिसम्बर 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार—निरंक.
- सामुदायिक अधिकार—निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-69-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-69-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-69-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23° 48' 42.20" to 23° 48' 50.50" North Latitude and 75° 54' 12.50" to 75° 54' .22" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Agar Malwa, Tehsil-Badod, Forest Division-Shajapur (T) Forest Range—Agar

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Vinayga	Vinayga	Nistar Charnoi	1/1	5.00	North—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 6. East—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 6 to 7. South—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to 9. West—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 9 to 11 and 11 to 1.
Total					5.00	

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPB063/2010-BHO/1668 dated 27th August 2010 and in lieu of 4.24 hectare of affected forest land under the project of 6 Mega Watt Wind farm Project in Forest Division Ratlam of Suzlon Energy Ltd. Indore, the above mentioned Non Forest Land of 5.00 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by Case No.58-A-19(3)/2007-08, Dated 31st January 2009 & order No. Reader-01/09/671-72, Dated 4th December 2009 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 24th December 2014 of Tehsildar Badod are as under :—

1. Individual Right—Nil.
2. Community Right—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-79 2016 दस 3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 23° 40' 30.59" से N-23° 40' 36.03" उत्तर अक्षांश तथा E80° 4' 39.04" से E80° 4' 45.70" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—कटनी, तहसील—बाहोरीबंद, वनमंडल—कटनी वनपरिक्षेत्र—बाहोरीबंद

अनु. क्रमांक	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बिछियाकाप	बिछियाकाप	बड़े झाड़ का जंगल	5/2	1.31	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग :					1.31	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6MPB/008/2011-BHO/3148, दिनांक 30.05.2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना प्रबंधक म.प्र. ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, इन्दौर जिला की स्वीकृत परियोजना बुरहानपुर के जिले अन्तर्गत वनमण्डल असीरगढ़ की आरक्षित वनभूमि इन्दौर एदलाबाद राजमार्ग क्रमांक—27 कि.मी 163 / 600 (बोलती पहाड़ी) स्थित पुल के बदले परिवर्तित पुल निर्माण में 1.308 हेक्टेयर वन भूमि के एवंज में प्राप्त कुल 1.31 हे. गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्र. 24/ अ—19/2011-12, दिनांक 05.मार्च 2012 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बाहोरीबंद, जिला कटनी के प्रमाण—पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार— उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार— उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-79-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-79-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-79-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Lies between N 23°40' 30.59" to N-23°40' 36.03" North Latitude and E-80° 4'39.04" to E-80° 4' 45.70" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Katni, Tehsil-Bahoriband Forest Division-Katni, Forest Range—Bahoriband

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries (7)
	Name of Forest Block (2)	Name of Village (3)	Present head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (Hectare) (6)	
1	Bichiyakaap	Bichiyakaap	Bade jhad ka jungle	5/2	1.31	<p>North—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.1 to 02.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.2 to 03.</p> <p>South—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.3 to 04.</p> <p>West—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.4 to 01.</p>
Total					1.31	

(A) Reason for publication of Notification:—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6 MPB/008/2011-BHO/3148, dated 30.05.2011 and in lieu of 1.308 hectare of affected Reserve forest land under the sanctioned project of Burhanpur District, Asirgarh Forest Division Indore Edlabad Rajmarg no. 27 km. 163-600 (Bolti Pahadi) Bridge Manufacturing New Converting Bridge of Project Director, M.P. Rural Road Development Corporation Ltd. Indore District Indore the above mentioned Non Forest Land of 1.31 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No.- 24/ A-19/2011-12, Dated 5th March 2012 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—No.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband District Katni Certificate are as under.

1. **Individual Right**—No Individual Right on the above land.
2. **Community Right**—No Community Right on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-80-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N-23⁰ 34'47.78" से 23⁰ 34' 54.98" उत्तर अक्षांश तथा E-80⁰ 11' 23.94" से 80⁰ 11' 28.92" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—कटनी, तहसील—बहोरीबंद वनमंडल—कटनी वनपरिक्षेत्र—बहोरीबंद

अनु. क्रमांक	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अमोच—“स”	अमोच	निजी भूमि	582	1.75	उत्तर—सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 05 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा.
योग :					1.75	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC051/2006-BHO/3145, दिनांक 22.05.2007 एवं म.प्र शासन, वन विभाग के पत्र क्र. डी /2172/2015/2007/10-3 दिनांक 18.06.2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मे0 बालाजी मार्बल एण्ड टाइल्स कटनी परिवर्तित नाम केशरीनंदन मार्बल प्रा0लिमि0 कटनी की स्वीकृत परियोजना कटनी जिले के अतंगत ग्राम अमोच, ख. क्र. 120 की राजस्व वन भूमि में खनिज मार्बल के उत्खनन में प्रभावित 4.00 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.20 हेक्टेयर गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय नायब तहसीलदार, स्लीमनाबाद जिला कटनी के आदेश क्र मांक रा.प्र 03/ अ / 25/ 2006-07 दिनांक 22 मार्च 2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बहोरीबंद जिला कटनी के प्रमाण पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार — उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-80-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-80-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-80-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-23° 34'47.78" to 23° 34'54.98" North Latitude and E-80° 11'23.94" to 80° 11'28.92" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Katni, Tehsil-Bahoriband Forest Division-Katni, Forest Range—Bahoriband

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Amoch-'C'	Amoch	Private Land	582	1.75	<p>North—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.01 to 02.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.02 to 05.</p> <p>South—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.05 to 08.</p> <p>West—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.08 to 01.</p>
Total					1.75	

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC 051/2006-BHO/3145, dated 22-05-2007 & M.P. Government, Forest Department Letter No: D/2172/2015/2007/10-3 dated 18-06-2007 and in lieu of 4.00 hectare of affected Revenue forest land under the sanctioned project of Marble Mining in Katni District Village Amoch, Khasra No. 120 of M/s Bala ji Marble & tiles katni Change name Kesrinandan Marble Pvt. Ltd. Katni the above mentioned Non Forest Land of 4.20 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order रा. प्र. No. 03/A/25/2006-07, dated 22nd March 2007 of Nayab Tehsildar Sleemnabad, District Katni Court for the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons—No.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband District Katni Certificate are as under.

1. **Individual Right**—No Individual Right on the above land.
2. **Community Right**—No Community Right on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-80-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, N-23° 35' 5.20" से N-23° 35' 8.00" उत्तर अक्षांश तथा E-80° 11' 26.40" से E-80° 11' 32.00" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—कटनी, तहसील—बहोरीबंद वनमंडल—कटनी वनपरिक्षेत्र—बहोरीबंद

अनु. क्रमांक	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अमोच—“अ”	अमोच	निजी भूमि	589	0.91	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक जो कि अमोच वनखण्ड के वनकक्ष क्र. 249 की पूर्वी वन सीमा.
योग :					0.91	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC 051/2006-BHO/3145, दिनांक 22-05-2007 एवं म.प्र शासन, वन विभाग के पत्र क्र. डी /2172/2015/2007/10-3 दिनांक 18-06-2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मे0 बालाजी मार्बल एण्ड टाइल्स कटनी परिवर्तित नाम केशरीनंदन मार्बल प्रा0लिमि0 कटनी की स्वीकृत परियोजना कटनी जिले के अंतर्गत ग्राम अमोच, ख. क्र. 120 की राजस्व वन भूमि में खनिज मार्बल के उत्खनन में प्रभावित 4.00 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.20 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय नायब तहसीलदार, स्लीमनाबाद जिला कटनी के आदेश क्र मांक रा.प्र 03/ अ / 25/ 2006-07 दिनांक 22 मार्च 2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बहोरीबंद जिला कटनी के प्रमाण-पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार — उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-80-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-80-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-80-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-23° 35' 5.20" to N-23° 35' 8.00" North Latitude and E-80° 11' 26.40" to E 80° 11' 32.00" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Katni, Tehsil-Bahoriband Forest Division-Katni, Forest Range—Bahoriband

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Amoch-'A'	Amoch	M.P. Government Forest Department	589	0.91	<p>North—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.01 to 02.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.02 to 03.</p> <p>South—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.03 to 04.</p> <p>West—Forest Boundary of Pillar No. 04 to 01 which is the eastern boundary of Compartment No. 24 of amoch forest block.</p>
Total					0.91	

(A) Reason for publication of Notification:—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC 051/2006-BHO/3145, dated 22-05-2007 & M.P. Government, Forest Department Letter No. D/2172/2015/2007/10-3 dated 18-06-2007 and in lieu of 4.00 hectare of affected Revenue forest land under the sanctioned project of Marble Mining in Katni District Village Amoch, Khasra No. 120 of M/s Bala ji Marble & tiles katni Change name Kesrinandan Marble Pvt. Ltd. Katni the above mentioned Non Forest Land of 4.20 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order ग. प्र. No. 03/A/25/2006-07, dated 22nd March 2007 of Nayab Tehsildar Sleemnabad, Distrt Katni Court for the purpose of compensatory a forestation.
- Details of other Reasons—No.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband District Katni Certificate are as under.

- Individual Right**—No Individual Right on the above land.
- Community Right**—No Community Right on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-80-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, E-23° 34'58.02" से E-23° 35'03.20" उत्तर अक्षांश तथा N-80°11'22.00" से N-80°11' 30.50" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—कटनी, तहसील—बहोरीबंद वनमंडल—कटनी वनपरिक्षेत्र—बहोरीबंद

अनु. क्रमांक	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अमोच—“ब”	अमोच	निजी भूमि	586	1.54	उत्तर—संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 01 तक आरक्षित वनखण्ड क्रमांक 102, अमोच के वनकक्ष क्रमांक 249 की पूर्वी वन सीमा.
योग :					1.54	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC 051/2006-BHO/3145, दिनांक 22-05-2007 एवं म.प्र शासन, वन विभाग के पत्र क्र. डी /2172/2015/2007/10-3 दिनांक 18-06-2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मे0 बालाजी मार्बल एण्ड टाइल्स कटनी परिवर्तित नाम केशरीनंदन मार्बल प्रा0लिमि0 कटनी की स्वीकृत परियोजना कटनी जिले के अंतर्गत ग्राम अमोच, ख. क्र. 120 की राजस्व वन भूमि में खनिज मार्बल के उत्खनन में प्रभावित 4.00 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.20 हेक्टेयर गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय नायब तहसीलदार, स्लीमनाबाद जिला कटनी के आदेश क्रमांक रा.प्र 03/ अ / 25/2006-07 दिनांक 22-03-2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बहोरीबंद जिला कटनी के प्रमाण पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार — उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-80-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-80-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-80-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between E-23°34'58.02" to E-23°35'03.20" North Latitude and N-80°11'22.00" to N 80°11'30.50" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Katni, Tehsil-Bahoriband Forest Division-Katni, Forest Range—Bahoriband

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Amoch-'B'	Amoch	Private Land	586	1.54	North —Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.01 to 03. East —Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.03 to 07. South —Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.07 to 08. West —Eastern Forest Boundary Pillar No. 08 to 01 Reserve Forest Block No. 102, Amoch Compartment No. 249.
Total					1.54	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC 051/2006-BHO/3145, dated 22-05-2007 & M.P. Government, Forest Department Letter No. D/2172/2015/2007/10-3 dated 18-06-2007 and in lieu of 4.00 hectare of affected Revenue forest land under the sanctioned project of Marble Mining in Katni District Village Amoch, Khasra No. 120 of M/s Balaji Marble & tiles katni Change name Kesrinandan Marble Pvt. Ltd. Katni the above mentioned Non Forest Land of 4.20 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order रा. प्र. No. 03/A/25/2006-07 dated 22-03-2007 of Nayab Tehsildar Sleemnabad, Distrt Katni Court for the purpose of compensatory a forestation.
- Details of other Reasons—No.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband District Katni Certificate are as under.

- Individual Right**—No Individual Right on the above land.
- Community Right**—No Community Right on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-87-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, N 23° 33' 27.6'' से N-23° 33' 33.2'' उत्तर अक्षांश तथा E-79° 25' 06.2'' से E-79° 25' 14.0'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—दमोह, तहसील—तेन्दूखेड़ा वनमंडल—दमोह (सामान्य) वनपरिक्षेत्र—झलौन

क्रमांक	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्द	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हरदुआ हाथीघाट	हरदुआ हाथीघाट	कृषि (निजी भूमि)	1090/10, 11,13,14, 15,16,17 एवं 20	2.59	उत्तर—संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 153 के मुनारा क्रमांक 37 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—आर. एफ. 153 के मुनारा क्रमांक 37 से 36 तक की वन कक्ष क्रमांक आर. एफ 153 की पश्चिमी सीमा। दक्षिण— मुनारा क्रमांक 36 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम—संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग :					2.59	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPB 090/2010-BHO/2890, दिनांक 13-04-2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मेसर्स डायमंड सीमेंट (प्रो. हेडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड) की स्वीकृत परियोजना 132 के व्ही. दमोह-इमलाई-नरसिंहगढ़ विद्युत् लाईन हेतु प्रभावित 2.43 हे. वनभूमि के ऐवज में प्राप्त कुल 2.59 हेक्टेयर गैर वनभूमि (निजी भूमि) में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.59 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में दिनांक 04-02-2011 को विनियम पत्र (रजिस्ट्री) द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक.

(क) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह के प्रमाण पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार —उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-87-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-87-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-8-2016-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-23° 33' 27.6" to N-23° 33' 32.2" North Latitude and E-79° 25' 6.2" to E 79° 25' 14.0" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Damoh, Tehsil-Tendukhera, Forest Division—Damoh (Territorial) Forest Range—Jhalone

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hardua Hathighat	Hardua Hathighat	Agriculture (Private Land)	1090/10 11,13,14 15,16,17 & 20	2.59	North—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 3 and Pillar No. 37 of Forest Compartment No. RF 153. East—Western Forest Boundary of Compartment No. RF 153 From Pillar No. 37 to 36 of RF 153. South—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 36 to 10 West—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 1.
Total					2.59	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6 MPB 090/2010-BHO/2890, dated 13-04-2011 and in lieu of 2.43 hectare of affected forest land under the sanctioned project of 132 kv. Demoh-Imlai-Narsinghgarh Ternsmission line fo M/s. Diamond Cement (Pro. Heidelberge Cement India Limited) the above mentioned Non Forest land (Private Land) of 2.59 Hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department on dated 04-02-2011 by District Registrar Damoh for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar-Tendukhera District Damoh are as under :—

- Individuals of Right**—There are no individual right on the said land.
- Communities of Right**—There are no Communities right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-91-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 52' 21" से 23° 52' 46.50" उत्तर अक्षांश तथा 75° 53' 17" से 75° 53' 45.50" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—आगर मालवा, तहसील—बड़ौद, वनमंडल—सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र—आगर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उचवास (अ)	उचवास	पहाड़	1238	68.27	उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—मुनारा क्र. 10 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— मुनारा क्र. 14 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—मुनारा क्र. 16 से 18 एवं 18 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग :					68.27	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F-No.-8-91/2012-FC दिनांक 5 मार्च 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, देवास की स्वीकृत वनमंडल देवास में दतूनी टैंक परियोजना में प्रभावित 268.39 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.81 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 68.27 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्र./रीडर-1/2012/209 दिनांक 12-04-2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बड़ौद के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 24-12-2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार—निरंक
- सामुदायिक अधिकार—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-91-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-91-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-91-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°52'21" to 23°52'46.50" North Latitude and 75°53'17" to 75°53'45.50" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Agar Malwa, Tehsil—Badod, Forest Division—Shajapur (T) Forest Range—Agar

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
(1)	Name of the Forest Block (2)	Name of Village (3)	Present head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (Hectare) (6)	(7)
1	Uchwas (A)	Uchwas	Pahad	1238	68.27	<p>North—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 10.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 14.</p> <p>South—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to 16.</p> <p>West—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 18 & 18 to 1.</p>
				Total	68.27	

(A) Reason for publication of Notification—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F-No.8-91/2012-FC dated 05 March 2014 and in lieu of 268.39 hectare of affected Forest land under the Datuni Tank Project in Forest Division Dewas of Executive Engineer Water Resource Department, Dewas, the above mentioned Non Forest land of 68.27 hectare out of 165.81 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. Reader-1/2012/209 Dated, 12-04-2012 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 24-12-2014 of Tehsildar Badod are as under.

1. **Individual Right**—Nil.
2. **Community Right**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-91-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23°51'33.50" से 23°51'46" उत्तर अक्षांश तथा 75°53'04" से 75°53'21" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—आगर मालवा, तहसील—बड़ौद, वनमंडल—सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र—आगर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उचवास (ब)	उचवास	पहाड़	1266	17.05	उत्तर—मुनारा क्र. 5 से 7 एवं 7 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— मुनारा क्र. 2 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—मुनारा क्र. 4 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग :	17.05	

(अ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F-No.-8-91/2012-FC दिनांक 5 मार्च 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, देवास की वनमंडल, देवास में स्वीकृत दतूनी टैंक परियोजना में प्रभावित 268.39 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.81 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 17.05 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला शाजापुर के आदेश क्र./रीडर-1/2012/209, दिनांक 12-04-2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बड़ौद के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 24-12-2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार —निरंक
- सामुदायिक अधिकार—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-91-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-91-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-91-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°51'33.50" to 23°51'46" North Latitude and 75°53'04" to 75°53'21" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Agar Malwa, Tehsil—Badod, Forest Division—Shajapur (T) Forest Range—Agar

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries (7)
	Name of the Forest Block (2)	Name of Village (3)	Present head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (Hectare) (6)	
1	Uchwas (B)	Uchwas	Pahad	1266	17.05	North —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5 to 7 & 7 to 1. East —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 2. South —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to 4. West —Artificial Forest Boundary from Pillar No.4 to 5.
Total					17.05	

(A) Reason for publication of Notification—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F-No.8-91/2012-FC dated 05 March 2014 and in lieu of 268.39 hectare of affected Forest land under the Datuni Tank Project in Forest Division Dewas of Executive Engineer Water Resource Department, Dewas, the above mentioned Non Forest land of 17.05 hectare out of 165.81 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. Reader-1/2012/209, Dated 12-04-2012 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 24-12-2014 of Tehsildar Badod are as under.

- Individual Right—Nil.**
- Community Right—Nil.**

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-91-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 47' 10" से 23° 47' 19" उत्तर अक्षांश तथा 75° 52' 29" से 75° 52' 40" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—आगर मालवा, तहसील—बड़ौद, वनमंडल—सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र—आगर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	इकलेरा बड़ौद	इकलेरा बड़ौद	चरनोई गैर मुमकिन	700	3.18	उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा.
			चरनोई गैर मुमकिन	701	2.42	
						पूर्व—मुनारा क्र. 2 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा.
						दक्षिण— मुनारा क्र. 6 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.
						पश्चिम—मुनारा क्र. 10 से 13 एवं 13 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग :	5.60	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F-No.-8-91/2012-FC दिनांक 5 मार्च 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, देवास की वनमंडल देवास में स्वीकृत दतूनी टैंक परियोजना में प्रभावित 268.39 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.81 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.60 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला शाजापुर के आदेश क्र./रीडर-1/2012/209, दिनांक 12-04-2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बड़ौद के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 24-12-2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (1) व्यक्तिगत अधिकार —निरंक
- (2) सामुदायिक अधिकार—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-91-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-91-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-91-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°47'10" to 23°47'19" North Latitude and 75°52'29" to 75°52'40" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Agar Malwa, Tehsil—Agar, Forest Division—Shajapur (T) Forest Range—Agar

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Eklera Badod	Eklera Badod	Charnoi Gair mumkin	700	3.18	North—Artificial Forest boundary from Pillar No. 1 to 2. East—Artificial Forest boundary from Pillar No. 2 to 6. South—Artificial Forest boundary from Pillar No. 6 to 10. West—Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to 13 & 13 to 1.
			Charnoi Gair mumkin	701	2.42	
			Total		5.60	

(A) Reason for publication of Notification—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F-No.8-91/2012-FC dated 05 March 2014 and in lieu of 268.39 hectare of affected Forest land under the Datuni Tank Project in Forest Division Dewas of Executive Engineer Water Resource Department, Dewas, the above mentioned Non Forest land of 5.60 hectare out of 165.81 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. Reader-1/2012/209, Dated 12-04-2012 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 24-12-2014 of Tehsildar Badod are as under.

1. Individual Right—Nil.

2. Community Right—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-91-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23°48'51.50" से 23°49'09" उत्तर अक्षांश तथा 75° 51'32" से 75° 51'48.50" देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—आगर मालवा, तहसील—बड़ौद, वनमंडल—सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र—आगर

अ.क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	टोकड़ा	टोकड़ा	निस्तार चरनोई	552	19.89	उत्तर—मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—मुनारा क्रमांक 2 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 11 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 16 से 18 एवं 18 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग :					19.89	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F-No-8-91/2012-FC, दिनांक 5 मार्च 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, देवास की वनमंडल, देवास में स्वीकृत दतूनी टैंक परियोजना में प्रभावित 268.39 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.81 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 19.89 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्र./रीडर-1/2012/209 दिनांक 12 अप्रैल 2012 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बड़ौद के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 24 दिसम्बर 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार—निरंक.

(ब) सामुदायिक अधिकार—निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-91-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-91-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-91-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°48'51.50" to 23°49'09" North Latitude and 75° 51'32" to 75° 51'48.50" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Agar Malwa, Tehsil-Badod, Forest Division-Shajapur (T) Forest Range—Agar

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tonkda	Tonkda	Nistar Charnoi	552	19.89	North —Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 2. East —Artificial Forest boundary from Pillar Number 2 to 11. South —Artificial Forest boundary from Pillar Number 11 to 16. West —Artificial Forest boundary from Pillar Number 16 to 18 and 18 to 1.
Total					19.89	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order F-No. 8-91/2012-FC dated 5th March 2014 and in lieu of 268.39 hectare of affected Forest land under the Datuni Tank Project in Forest Division, Dewas of Executive Engineer Water Resource Department, Dewas, the above mentioned Non Forest Land of 19.89 hectare out of 165.81 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by order No. Reader-01/2012/209 dated 12th April 2012 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 24th December 2014 of Tehsildar Badod are as under :—

- Individual Right**—Nil.
- Community Right**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-91-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23°58'33.50" से 23°58'57.50" उत्तर अक्षांश तथा 76°14'37.50" से 76°15'01" देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—आगर मालवा, तहसील—सुसनेर, वनमंडल—सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र—सुसनेर

अ.क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पायली	पायली	गैर मुमकिन बर्डी गैर मुमकिन बर्डी चरनोई पहाड़ चट्टान	191 192 187 1354	21.28 19.46 12.11 2.15	उत्तर—मुनारा क्रमांक 14 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— मुनारा क्रमांक 5 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 9 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग :					55.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F-No-8-91/2012-FC, दिनांक 5 मार्च 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, देवास की वनमंडल, देवास में स्वीकृत दत्तनी टैंक परियोजना में प्रभावित 268.39 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.81 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 55.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्र./रीडर-1/2012/220 दिनांक 23 अप्रैल 2012 एवं क्र./रीडर-1/2012/380-381 दिनांक 11 जून 2012 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, सुसनेर के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 29 दिसम्बर 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार—निरंक.
- सामुदायिक अधिकार—निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-91-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-91-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-91-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23° 58'33.50" to 23° 58'57.50" North Latitude and 76°14'37.50" to 76° 15'01" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Agar Malwa, Tehsil-Susner, Forest Division-Shajapur (T) Forest Range—Susner

S.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
No.	Name of the Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Payli	Payli	Gair Mumkin Bardi	191	21.28	North —Artificial Forest boundary from Pillar Number 14 to 1. East —Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 5. South —Artificial Forest boundary from Pillar Number 5 to 9. West —Artificial Forest boundary from Pillar Number 9 to 14.
			Gair Mumkin Bardi	192	19.46	
			Charnoi	187	12.11	
			Pahad Chattan	1354	2.15	
				Total	55.00	

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F-No. 8-91/2012-FC dated 5th March 2014 and in lieu of 268.39 hectare of affected Forest land under the Datuni Tank Project in Forest Division, Dewas of Executive Engineer Water Resource Department, Dewas, the above mentioned Non Forest Land of 55.00 hectare out of 165.81 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by order No. Reader-01/2012/220 dated 23rd April 2012 & order No. Reader-1/2012/380-381 dated 11th June 2012 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 29th December 2014 of Tehsildar Susner are as under :—

1. Individual Right—Nil.
2. Community Right—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-98-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, N24°0'46.429" से N24°0'25.554" उत्तर अक्षांश तथा E77°0'19.514" से E77°0'39.212" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—राजगढ़, तहसील—ब्यावरा, वनमंडल—राजगढ़, वनपरिक्षेत्र—ब्यावरा

अ.क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सारस्याबे-2	सारस्याबे	गैर मुमकिन (राजस्व)	179/2/1 179/2/2 179/3	23.706	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 20 एवं 20 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग :					23.706	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक MPC008/2015-BHO/374, दिनांक 28 अप्रैल 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल की स्वीकृत परियोजना, बैतूल-सारणी-टेकाढाना-जुन्नारदेव-परासिया राज्य राजमार्ग क्रमांक 43 निर्माण में प्रभावित 31.679 हे. में से 19.653 हेक्टेयर स्वीकृत है। शेष भूमि रकबा 12.026 हे. प्रस्तावित कारीडोर होने के कारण स्वीकृति अपेक्षित है। प्रभावित रकबा 31.679 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 20.00 हेक्टेयर (बड़े झाड़ का जंगल) गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 157/अ-19/(3)2014-15 दिनांक 20 जुलाई 2015 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, ब्यावरा, जिला राजगढ़ के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव।

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-98-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-98-2016-दस-3, दिनांक 7 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 7th September 2016

No. F-25-98-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N24°0'46.429" to N24°0.25.554" North Latitude and E77°0'19.514" to 77°0'39.212" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Rajgarh, Tehsil-Biaora, Forest Division-Rajgarh, Forest Range—Biaora

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sarsyabe-2	Sarsyabe	Non Revenue Land	179/2/1 179/2/2 179/3	23.706	North —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 1 to 5. East —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 5 to 12. South —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 12 to 16. West —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 16 to 20 and 20 to 01.
Total					23.706	

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 8-02/2014-FC dated 15th September 2015 and lieu of 275.27 hectare (23706 hec.) affected forest land under the sanctioned project of Kundaliya Jalashay of EEWRD Narshingarh District Rajgarh, the above mentioned Non Forest Land of 275.656 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Department by order No. 12815/6/Pravachak-1/2012 dated 3rd December 2012 of Collector Rajgarh for the purpose of compensatory a forestation.
2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Certificated) of Tehsildar-Biaora District Rajgarh are as under :—

1. **Individual Right**—There are no individual right on the said land.
2. **Community Right**—There are no Communities right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-99-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N24°03'55.974" से N24°04'37.035 उत्तर अक्षांश तथा E77°08'0.908" से E77°09'4.134" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—राजगढ़, तहसील—ब्यावरा, वनमंडल—राजगढ़, वनपरिक्षेत्र—ब्यावरा

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कानेड बडला	कानेड	राजस्व	75/1 75/1/1	75.000 45.000	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 45 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 45 से 51 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 51 से 64 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 64 से 73 एवं मुनारा क्रमांक 73 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग :					120.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/8-02/2014-FC, दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, जिला हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल राजगढ़ की स्वीकृत परियोजना कुण्डालिया जलाशय में प्रभावित 275.27 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 275.656 हे. (120.00 हे.) गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 275.656 हेक्टेयर क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक र12815/6/प्रवाचक-1/2012 दिनांक 3 दिसम्बर 2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, ब्यावरा, जिला राजगढ़ के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-99-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-99-2016-दस-3, दिनांक 7 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 7th September 2016

No. F-25-99-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N24°03'55.974" to N24°04'37.035" North Latitude and E77°08'0.908" to E77°09'4.134" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Rajgarh, Tehsil-Biaora, Forest Division-Rajgarh, Forest Range—Biaora

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries (7)
	Name of Forest Block (2)	Name of Village (3)	Present head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (Hectare) (6)	
1	Kahed Badla	Kaned Badla	Revenue	75/1 75/1/1	120.000	North —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 1 to 45. East —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 45 to 51. South —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 51 to 64. West —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 64 to 73 and 73 to 01.
Total					120.000	

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 8-02/2014-FC dated 15th September 2015 and lieu of 275.27 hectare (23706 hec.) affected forest land under the sanctioned project of Kundaliya Jalashay of EEWRD Narsinghgarh District Rajgarh, the above mentioned Non Forest Land of 275.656 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Department by order No. 12815/6/Pravachak-1/2012 dated 3rd December 2012 of Collector Rajgarh for the purpose of compensatory a forestation.
2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tehsildar-Biaora District Rajgarh are as under :—

1. **Individual Right**—There are no individual right on the said land.
2. **Community Right**—There are no Communities right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-107-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, 23° 45' 58" से 23° 46' 15.50" उत्तर अक्षांश तथा 76° 06' 22.50" से 76° 06' 49.50" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—आगर मालवा, तहसील—आगर, वनमंडल—सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र—आगर

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खैड़ा	खैड़ा	गैर मुमकिन चरनोई	354	1.05	उत्तर—मुनारा क्र. 21 से 1 एवं 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा.
	माछौपुर	माछौपुर	गैर मुमकिन चरनोई	355	4.31	पूर्व—मुनारा क्र. 2 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा.
	(अ)		गैर मुमकिन चरनोई	360 मि.	14.00	दक्षिण—मुनारा क्र. 5 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.
			काबिल कास्त	577	4.59	पश्चिम—मुनारा क्र. 14 से 21 तक की कृत्रिम वन सीमा.
			गैर मुमकिन बर्डी	607	2.49	
			योग :		26.44	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F-No-8-112/2008-FC, दिनांक 19 अगस्त 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार इनरकान इंडिया लिमिटेड, भोपाल की स्वीकृत विण्ड फार्म परियोजना में प्रभावित 74.236 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 75.00 हेक्टेयर गैर-वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 26.44 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्र./रीडर-1/07/593 दिनांक 25 अगस्त 2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, आगर के प्रतिवेदन क्र. / क्यू दिनांक 22 दिसम्बर 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार—निरंक.
- सामुदायिक अधिकार—निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-107-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-107-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-107-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°45'58" to 23°46'15.50" North Latitude and 76° 06'22.50" to 76°06'49.50" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Agar Malwa, Tahsil—Agar, Forest Division—Shajapur (T) Forest Range—Agar

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries (7)
	Name of the Forest Block (2)	Name of Village (3)	Present head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (Hectare) (6)	
1	Kheda Madhopur (A)	Kheda Madhopur	Gair Mumkin	354	1.05	North —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 21 to 1 & 1 to 2. East —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 2 to 5. South —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 5 to 14. West —Artificial Forest Boundary from Pillar Number 14 to 21.
Charnoi			355	4.31		
Gair Mumkin			360 Mi	14.00		
Charnoi Gair			577	4.59		
Mumkin Charnoi			607	2.49		
Kabil kast Gair Mumkin Bardi						
			Total	26.44		

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F-No. 8-112/2008-FC dated 19th August 2011 and in lieu of 74.236 hectare of affected Forest land under the Wind Farm Project of Enercon India Ltd. Bhopal, the above mentioned Non Forest Land of 26.44 hectare out of 75.00 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by order No. Reader-01/07/593 dated 25th August 2007 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. ... dated 22nd December 2014 Tehsildar Agar are as under :—

1. **Individual Right**—Nil.

2. **Community Right**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-107-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 45' 31.50" से 23° 45' 51" उत्तर अक्षांश तथा 76° 06' 00" से 76° 06' 28" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—आगर मालवा, तहसील—आगर, वनमंडल—सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र—आगर

अ.क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	खैड़ा	खैड़ा	गैर मुमकिन बर्डी	615	0.48	उत्तर—मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा.	
	माद्यौपुर (ब)	माद्यौपुर	काबिल कास्त	618	15.58	पूर्व—मुनारा क्रमांक 3 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 10 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 15 से 20 एवं 20 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.	
				योग :	16.06		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F-No-8-112/2008-FC, दिनांक 19 अगस्त 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार इनरकान इंडिया लिमिटेड भोपाल की स्वीकृत विण्ड फार्म परियोजना में प्रभावित 74.236 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 75.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 16.06 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्र./रीडर-1/07/593 दिनांक 25-08-2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, आगर के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू दिनांक 22 दिसम्बर 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (अ) व्यक्तिगत अधिकार—निरंक.
(ब) सामुदायिक अधिकार—निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-107-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-107-2016-दस-3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F-25-107-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°45'31.50" to 23°45'51" North Latitude and 76° 06'6.00" to 76° 06'28" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Agar Malwa, Tahsil—Agar, Forest Division—Shajapur (T) Forest Range—Agar

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kheda Madhopur (B)	Kheda Madhopur	Gair mumkin bardi Kabil kast	615 618	0.48 15.58	North—Artificial Forest Boundary from Pillar Number 1 to 3. East—Artificial Forest Boundary from Pillar Number 3 to 10. South—Artificial Forest Boundary from Pillar Number 10 to 15. West—Artificial Forest Boundary from Pillar Number 15 to 20 and 20 to 1.
Total					16.06	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F-No. 8-112/2008-FC dated 19th August 2011 and in lieu of 74.236 hectare of affected forest land under the Wind farm Project of Enercon India Ltd, Bhopal, the above mentioned Non Forest land of 16.06 hectare out of 75.00 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by order No. Reader-01/07/593, dated 25th August 2007 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Q . . . dated 22th December 2014 of Tehsildar Agar are as under :—

- Individual Right—Nil.
- Communitiy Right—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-04-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बड़वाह	बड़वाह	महाशीर संग्रह केन्द्र जयंती माता.	आरक्षित वन-272, 273, 266	40.000	पूर्व—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 272, 266 एवं चोरल नदी. पश्चिम—चोरल नदी एवं कक्ष क्रमांक 266. उत्तर—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 266. दक्षिण—आरक्षित वन कक्ष 272 एवं 273.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		बड़वाह	मोदरी झरना	आरक्षित वन-284, 269	10.000	पूर्व—वन कक्ष क्रमांक 284. पश्चिम—वन कक्ष क्रमांक 284 एवं 269. उत्तर—बड़वाह-सिद्धवरकुट मार्ग. दक्षिण—वन कक्ष क्रमांक 284.
			चिड़िया भड़क कुण्ड	आरक्षित वन-116	10.000	पूर्व—चोरल नदी. पश्चिम—कक्ष क्रमांक 116. उत्तर—कक्ष क्रमांक 116. दक्षिण—कक्ष क्रमांक 116.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-04-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-04-2016-दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th September 2016

No. F-15-04-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Badwah	Badwah	Mahasheer Collection Center Jayantimata.	RF-272 RF-273 RF-266	40.000	East—R. F. compartment No. 272.266 and Choral River. West—Choral River and compartment No. 266. North—R. F. compartment No. 266. South—R. F. compartment No. 272 and 273.
2	Badwah	Badwah	Modari Jharna	RF-284 RF-269	10.000	East—Compartment No. 284. West—Compartment No. 284 and 269. North—Badwah to Sidhwarkut Road. South—Compartment No. 284.
3	Badwah	Badwah	Chidia Bhadak Kund.	RF-116	10.000	East—Choral River. West—Compartment No. 116. North—Compartment No. 116. South—Compartment No. 116.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-05-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम की कंडिका 03 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	अनुसूची कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अनूपपुर	अमरकंटक	शंभूधारा	RF-230	4.000	पूर्व—बराती नाला एवं कक्ष क्रमांक आर-230. पश्चिम—अमरकंटक-दमगढ़ वन मार्ग उत्तर—कक्ष क्रमांक आर-230. दक्षिण—कक्ष क्रमांक आर-230.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-05-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-05-2016-दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th September 2016

No. F-15-05-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Anuppur	Amarkantak	Shambhudhara	RF-230	4.00	East —Barati nala and compartment No. R-230. West —Amarkantak Damgarh Forest road. North —Compartment No. R-230. South —Compartment No. R-230.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-06-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम की कंडिका 03 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	अनुसूची कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बडवानी	बड़वानी	बावनगजा	RF-70	249.45	पूर्व—कक्ष क्रमांक 70 की पूर्वी सीमा एवं आरक्षित वन सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 708 से 720 तक. पश्चिम—कक्ष क्रमांक 72, 73 की पश्चिमी सीमा रेखा. उत्तर—कक्ष क्रमांक 73 की उत्तरी सीमा रेखा. दक्षिण—कक्ष क्रमांक 70 एवं 72 की दक्षिणी सीमा रेखा.
2				RF-71	56.13	
3				RF-72	288.66	
4				RF-73	260.98	
योग :					855.22	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-06-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-06-2016-दस-2, दिनांक 12 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th September 2016

No. F-15-06-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Badwani	Badwani	Bawangaja	RF-70	249.45	East—Eastern boundary of compartment No. 70 and RF boundary Pillar No. 708 to 720. West—Western boundary of Compartment No. 72, 73. North—Northern boundary of compartment No. 73. South—Southern boundary of compartment No. 70 to 72.
2				RF-71	56.13	
3				RF-72	288.86	
4				RF-73	260.98	
Total :					855.22	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-07-2016-दस-2.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम की कंडिका 03 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	मुंदी	जूनापानी	RF-92 RF-93	533.05	पूर्व—इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. पश्चिम—कृत्रिम रेखा. उत्तर—इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर तक. दक्षिण—इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर तक.
2	खण्डवा	बलडी	सरई टापू	RF-447	59.57	पूर्व—इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. पश्चिम—इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. उत्तर—इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर तक. दक्षिण—इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर तक.
3	खण्डवा	चांदगढ़	बोरियामाल	RF-340	158.69	पूर्व—इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. पश्चिम—कृत्रिम रेखा. उत्तर—कक्ष क्रमांक 345 की सीमा एवं इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. दक्षिण—इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक.
4	खण्डवा	मुंदी	धारीकोटला	RF-111	327.14	पूर्व—इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. पश्चिम—कृत्रिम रेखा एवं इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. उत्तर—कृत्रिम रेखा. दक्षिण—इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-07-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-07-2016-दस-2, दिनांक 12 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th September 2016

No. F-15-07-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area in (Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Khandwa	Mundi	Junapani	RF-92 RF-93	533.05	East —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. West —Artificial Line. North —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. South —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam.
2	Khandwa	Baladi	Sarai Tapu	RF-447	59.57	East —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. West —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. North —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. South —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam.
3	Khandwa	Chandgarh	Boriyamal	RF-340	158.69	East —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. West —Artificial Line. North —Boundry of Compartment No. 345 and upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. South —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam.
4	Khandwa	Moondi	Dharikotla	RF-111	327.14	East —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. West —Artificial Line and upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. North —Artificial Line. South —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-08-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 03 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	अनुसूची		सीमाएं
				कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अशोकनगर	चन्देरी	बूढ़ी चन्देरी	आरक्षित वन-107	25.00	पूर्व —आर.एफ. 107 पश्चिम—आर.एफ. 107 व 108 उत्तर—आर.एफ. 107 दक्षिण—आर.एफ. 107
2		चन्देरी	मालनखोह	आरक्षित वन-118,119	10.00	पूर्व —आर.एफ. 118 व 119 पश्चिम—आर.एफ. 118 व 119 उत्तर—आर.एफ. 119 दक्षिण—आर.एफ. 118.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-08-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-08-2016-दस-2, दिनांक 12 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th September 2016

No. F-15-08-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area in (Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ashoknagar	Chanderi	Boodi Chanderi	RF-107	25.00	East—RF 107 West—RF 107 and 108 North—RF 107 South—RF 107
2	Ashoknagar	Chanderi	Malankho	RF-118, 119	10.00	East—RF 118 and 119 West—RF 118 and 119 North—RF 119 South—RF 118

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-09-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम की कंडिका 03 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गुना	गुना उत्तर	केदारनाथ धाम प्राचीन मंदिर एवं जल प्रपात.	आरक्षित वन-214 217, 219, 220	15.00	पूर्व—कक्ष क्रमांक 219 व 217 पश्चिम—कक्ष क्रमांक 220 व 214 उत्तर—कक्ष क्रमांक 220 व 219 दक्षिण—कक्ष क्रमांक 214 व 217

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-09-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-09-2016-दस-2, दिनांक 12 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th September 2016

No. F-15-09-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area in (Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Guna	North Guna	Kedarnath Dham Temple and Waterfall	RF-214, 217, 219, 220.	15.00	East—Compartment No. 219 and 217 West—Compartment No. 220 and 214 North—Compartment No. 220 and 219 South—Compartment No. 214 and 217.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-10-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम की कंडिका 04 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से **वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र** घोषित करती है:—

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	अनुसूची कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	मूंदी	जूनापानी	RF-91 95, 96 97, 98, 99, 100	1070.61	पूर्व —इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. पश्चिम —इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. उत्तर —नर्मदा नदी. दक्षिण —कक्ष 91, 97, 98 की दक्षिणी सीमा की ओर जल भराव क्षेत्र.
2	खण्डवा	चांदगढ़	बोरियामाल	RF-296, 297, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345.	1206.62	पूर्व —इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. पश्चिम —इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. उत्तर —कक्ष क्रमांक 332, 343 की उत्तरी सीमा. दक्षिण —नर्मदा नदी.
3	खण्डवा	मूंदी	धारीकोटला	RF-112, 114, 115, 117, 118	1864.92	पूर्व —कक्ष क्र. 115, 112 की पूर्वी सीमा एवं नर्मदा नदी तक. पश्चिम —वन एवं राजस्व क्षेत्र की सीमा तक. उत्तर —कक्ष क्र. 112, 114, 118 की उत्तरी सीमा. दक्षिण —कक्ष 115, 117 की दक्षिणी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-10-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-10-2016-दस-2, दिनांक 12 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th September 2016

No. F-15-10-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 4 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Wildlife Experience Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area in (Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Khandwa	Moondi	Junapani	RF-91, 95, 96, 97, 98, 99, 100	1070.61	East —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. West —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. North —Narmada River. South —Submergence area on the Southern boundary of compartment no. 91, 97, 98
2	Khandwa	Chandgarh	Boriyamal	RF-296, 297, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345	1206.62	East —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. West —Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. North —Northern Boundary of compartment no. 332, 343 South —Narmada River.
3.	Khandwa	Moondi	Dharikotla	RF- 112, 114, 115, 117, 118	1864.92	East —Eastern boundary of compartment No. 115, 112 and Narmada river. West —Boundaries of forest and revenue area. North —Northern Boundary of compartment no. 112, 114,118. South —Southern Boundary of compartment no. 115, 117.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-11-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम की कंडिका 03 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उज्जैन	उज्जैन	नौलखी	आरक्षित वन-24	250.00	पूर्व —कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्र. 01 से 21 तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						पश्चिम—कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्र. 33 से 51 तक. उत्तर—कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्र. 51 से 58 तक एवं 58 से 01 तक. दक्षिण—कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्र. 21 से 33 तक.
2	नीमच	जावद	कामा किरता तालाब.	आरक्षित वन-102	18.00	पूर्व —वन क्षेत्र कक्ष क्र. 103 की सीमा. पश्चिम—वन क्षेत्र कक्ष क्र. 102 की सीमा. उत्तर—वन क्षेत्र कक्ष क्र. 112 की सीमा. दक्षिण—वन क्षेत्र कक्ष क्र. 102 की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-11-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-11-2016-दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th September 2016

No. F-15-04-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred the by sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area in (Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ujjain	Ujjain	Noulakhi	RF-24	250.00	East —Artificial boundary Pillar No. 01 to 21. West —Artificial boundary Pillar No. 33 to 51. North —Artificial boundary Pillar No. 51 to 58 and 58 to 01. South —Artificial boundary Pillar No. 21 to 33.
2.	Neemach	Jawad	Kamakirta lake	RF-102	18.00	East —Forest boundary of compartment No. 103. West —Forest boundary of compartment No. 102. North —Forest boundary of compartment No. 112. South —Forest boundary of compartment No. 102

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-12-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 04 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित करती है:—

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दक्षिण बालाघाट	लालबर्वा	सोनेवानी	438A, 438B, 438C, 439, 439C, 432A, 432B, 433, 433C, 434, 436, 437, 445, 440, 444, 417, 431, 431C, 412, 416, 428, 429A, 429B, 430, 413, 448, 454, 435, 446, 447A, 447B, 449, 450, 451, 452, 453, 427, 457, 458, 471, 471C, 472, 459, 466, 467, 467C, 468, 455A, 455B, 456, 460, 461, 462, 464, 473, 478, 483, 484, 480, 493, 479, 481, 482, 485, 486A, 486B, 486C, 487, 474, 475, 477, 476A, 476B, 488.	18232.883	पूर्व —कक्ष क्रमांक 414, 415, 441, 443, 463 एवं ग्राम पण्ड्रापानी. बघोली, सालहे, बहियाटिकुर, मरेरा, गारापुरी, खुरसोडी, कामथी राजस्व क्षेत्र. पश्चिम —सिवनी जिला सीमा. उत्तर —कक्ष क्रमांक 411, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 426पी 751पी 753 एवं ग्राम गनखेड़ा. रानीकुठार राजस्व क्षेत्र. दक्षिण —पी 754, पी 756, कक्ष क्रमांक 489ए, 489बी, 489सी, 490, 494, 469ए, 469बी, 469सी, 469डी, 470ए, 470बी, 470सी, 465ए, 465 बी, 463 एवं ग्राम-नैतरा, कंटगझरी, सिर्रा, रमरमा, नगझर, नांदगांव, टेकाडी, चिरचिरा, भजियापुर, धुनाड़ी, ढिमरूरीठ, जमुनिया, कोंडमी, राजस्व क्षेत्र.
2	उत्तर बालाघाट	पूर्व बैहर सामान्य.	वनग्राम आरामटोला, भिमोड़ी जलाशय.	1594, 1595, 1601, 1624, 1596, 1597, 1602, 1598.	1771.53	पूर्व —बफरजोन का वनकक्ष क्र. 1084 पश्चिम —राजस्व क्षेत्र उत्तर —बैहर-गढ़ी पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग एवं बफरजोन वनमण्डल का क्षेत्र. दक्षिण —कक्ष क्रमांक 1599 एवं 1604.
3	उत्तर लामता सामान्य.	उत्तर लामता सामान्य.	कालापानी (कुमनगांव)	1228, 1229, 1247, 1246, 1248, 1249, 1250, 1251, 1290, 1291, 1292, 1293.	3201.180	पूर्व —ग्राम अरंडिया. चतरूटोला, पटेलटोला की राजस्व सीमा. पश्चिम —वनकक्ष क्र. 1230, 1245 एवं 1256. उत्तर —वनकक्ष क्र. 1217, 1218, 1289 एवं ग्राम मोहगांव की सीमा. दक्षिण —वनकक्ष क्र. 1252, 1253, 1254 एवं 1255.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-12-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-12-2016-दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th September 2016

No. F-15-12-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, under the sub-section 4 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Wildlife Experience Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area in (Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	South Balaghat.	Lalbarrah	Sonewani	438A, 438B, 438C, 439, 439C, 432A, 432B, 433, 433C, 434, 436, 437, 445, 440, 444, 417, 431, 431C, 412, 416, 428, 429A, 429B, 430, 413, 448, 454, 435, 446, 447A, 447B, 449, 450, 451, 452, 453, 427, 457, 458, 471, 471C, 472, 459, 466, 467, 467C, 468, 455A, 455B, 456, 460, 461, 462, 464, 473, 478, 483, 484, 480, 493, 479, 481, 482, 485, 486A, 486B, 486C, 487, 474, 475, 477, 476A, 476B, 488.	18232.883	East —Compartment No. 414, 415, 441, 443, 463 and revenue area of village Pandrapani, Bagholi, Salhe, Bahiyatikur, Marera, Garapuri, Khursodi, Kamti. West —Boundaries of district Seoni. North —Compartment No. 411, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 426, P751, P753 and revenue area of village Gankheda and Ranikuthaar. South —P754, P756, Compartment No. 489A, 489B, 489C, 490, 494, 469A, 469B, 469C, 469D, 470A, 470B, 470C, 465A, 465B, 463 and revenue area of village Naitra, Katanghari, Sirrah, Ramrama, Nagjhar, Nandgaon, Tekadi, Chirchira, Bhajiapaar, Dhunadi, Dhimrooreeth, Jamunia and Kodmi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	North Balaghat	East Baihar (T).	Forest village Aaramtola Bhimaudi tant.	FR.1594, 1595, 1601, 1624, 1596, 1597, 1602, 1598	1771.53	East —Compartment No. 1084 of buffer zone. West —Revenue Area. North — Baihar-Gadhi PWD road and Buffer zone area. South —Compartment No.1599 and 1604.
3.	North Balaghat	North Lamta (T).	Kalapani Kummang- aon.	1228, 1229, 1247, 1246, 1248, 1249, 1250, 1251, 1290, 1291, 1292, 1293.	3201.180	East — Revenue boundary of village Arandiya, Chatrutola, Pateltola. West —Compartment No. 1230, 1245, 1256. North —Compartment No. 1217, 1218, 1289 and Boundary of village Mohgaon. South —Compartment No. 1252, 1253, 1254 and 1255.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-13-2016-दस-2.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 03 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	शिवपुरी	सतनबाड़ा	नरवर किला	आरक्षित वन-494	262.22	पूर्व —आर.एफ.नरवर की सीमांकन रेखा मुनारा क्रमांक— 83 से 87 एवं 1 से 6 तक. पश्चिम —आर.एफ.नरवर की सीमांकन रेखा मुनारा क्रमांक-14 से 43 तक. उत्तर —किला सीमा एवं कट लाईन. दक्षिण —आर.एफ.नरवर की सीमांकन रेखा मुनारा क्रमांक— 6 से 14 तक.
		पिछोर	श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर एवं प्रपात.	आरक्षित वन-397.	290.41	पूर्व —वनखण्ड की सीमांकन रेखा, मुनारा क्रमांक 40 से 01 तक. पश्चिम —वनखण्ड की सीमांकन रेखा, मुनारा क्रमांक 09 से 18 तक. उत्तर —वनखण्ड का मुनारा क्रमांक 18 से 40 तक कक्ष क्रमांक 397 की उत्तरी सीमा. दक्षिण —वनखण्ड की सीमांकन रेखा, मुनारा क्रमांक 01 से 09 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-13-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-13-2016-दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th September 2016

No. F-15-13-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area in (Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Shivpuri	Satanwara	Narwar Kila	RF- 494	262.22	East —Boundary pillar No. 83 to 87 and 1 to 6 of RF Narwar. West —Boundary pillar No. 14 to 43 of RF Narwar North —Fort Boundary and Cut line. South —Boundary pillar No. 6 to 14 of RF Narwar.
		Pichor	Shri Tapkeshwar Mahadev Mandir and Waterfall.	RF- 397	290.41	East —Boundary pillar No. 40 to 01 of Forest Block. West —Boundary pillar No. 09 to 18 of Forest Block. North —Northern boundary of Compartment No. 397 from Pillar No. 18 to 40 of Forest Block. South —Boundary pillar No. 01 to 09 of Forest Block.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अगस्त 2016

पत्र क्र. 296-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	माला	0.712	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 297-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बहिवार	0.115	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 298-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने

(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) सौर	(4) 0.975	(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 299-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) फूल नं. 2	(4) 0.048	(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 300-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) जोड़ौरी	(4) 0.863	(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 301-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	फूल नं. 1	0.864	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 302-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पुरवा	0.437	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 303-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	रौरा	0.421	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 304-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	हटवा	1.684	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 305-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	देवास	0.897	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 306-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	लालगांव	0.650	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 308-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) बैकुंठपुर	(4) 0.187	(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा.	(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2016

पत्र क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बानसुजारा परियोजना नहर (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति) के निर्माण में आने वाले भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) टीकमगढ़	(2) खरगापुर	(3) खुड़ो नज. कुडीला	(4) 16.140	(5) भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़	(6) बानसुजारा परियोजना नहर (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बानसुजारा परियोजना नहर (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति) के निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	रमपुरा	3.050	भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़	बानसुजारा परियोजना नहर (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 08-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है। इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	रानीपुरा	2.330	भू-अर्जन अधिकारी, जतारा	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना अंतर्गत मोहनगढ़ कुम्हेड़ी लिंक नहर निर्माण के कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्र. 436-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-

शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	मझियार	0.032	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	सिजहटा - हनौती अंबर मार्ग के सुदृढीकरण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. . . .-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगवां	रजौला	1.783	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	मझगवां से चित्रकूट मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 439-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगवां	नयागांव	8.961	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	मझगवां से चित्रकूट मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 440-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगवां	मोहकमगढ़	3.306	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	मझगवां से चित्रकूट मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. 8875-भू-अर्जन-02-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 11 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	रामपुरी	67/15	0.810	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.	आमाखाल जलाशय की 2 आर. मा. के निर्माण हेतु.
			अशासकीय	योग ..		
				0.053		

नोट.—

- (2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी, हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त बनोट, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2016

प्र. क्र. 5298-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम—बोदा (डूब क्षेत्र)

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—43.474 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अजर्नीय रकबा
(1)	(2)	(3)
297	2.104	1.052
298	1.817	0.101
299	3.366	1.000
303	0.967	0.765
304	1.813	0.404
327	4.207	2.907
327/431	1.412	0.160
328/1	0.698	0.698
328/2	1.362	1.362
328/3	0.955	0.955
329	1.268	1.268
329/432	0.231	0.231
330/1	0.466	0.466
330/2	0.466	0.466
330/3	0.466	0.466
330/4	0.466	0.466
330/5	0.467	0.467
331/2	0.142	0.142
332	3.746	1.500
332/448	0.308	0.308

(1)	(2)	(3)
333/1	0.150	0.150
334	1.085	0.826
335/1क	1.738	1.266
336/1	0.345	0.345
336/2	0.610	0.610
337/1	1.295	1.295
337/2	1.295	1.295
338	1.007	1.007
340	1.700	0.025
341	0.829	0.400
344	1.497	1.076
345/1	0.354	0.354
345/2क	0.152	0.152
345/2ख	0.203	0.203
346	0.522	0.522
347/1क	0.453	0.453
347/1ख	0.202	0.202
347/1ग	0.202	0.202
347/2	1.619	1.619
347/3	0.809	0.809
348/2	1.720	0.102
349	0.505	0.405
349/429	1.910	1.273
350	0.069	0.069
368	4.451	4.000
371	3.088	1.120
373	3.237	1.000
374/1	0.928	0.928
374/2	0.928	0.928
374/3	0.928	0.928
375	4.167	3.762
376/2	6.712	0.964
कुल रकबा निजी भूमि . .	74.437	43.474

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5298-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में

उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम—बोदा (स्पिल चैनल)

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—3.297 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अजर्नीय रकबा
(1)	(2)	(3)
294	0.870	0.202
295	0.417	0.417
297	2.104	1.052
298	1.817	1.116
332	3.747	0.510
कुल रकबा निजी भूमि	8.955	3.297

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5298-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम—बोदा (नहर)

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.410 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अजर्नीय रकबा
(1)	(2)	(3)
344	1.497	0.027
350	0.069	0.050
351	0.338	0.054
352	0.053	0.009
353	0.138	0.07
128/1	1.858	0.151
129	2.651	0.078
127/2	1.088	0.066
127/1	0.322	0.084
126	0.66	0.116
49/2	2.023	0.006
84	0.813	0.052
49/4	0.405	0.060
50	0.664	0.050
54/2	0.304	0.055
56/1	0.593	0.152
62/2ख	0.538	0.122
62/3	0.405	0.068
62/2क	0.538	0.06
62/1	0.607	0.044
63/1	1.214	0.036
कुल अर्जित रकबा	16.78	1.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5298-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

- (ग) ग्राम—खुर्शी (नहर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.252 हेक्टर.

19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अजर्नीय रकबा (3)
(1)	(2)	(3)
34	3.521	0.171
35	0.255	0.023
36	0.890	0.017
37	0.202	0.012
43/1	1.619	0.097
46/3	0.583	0.114
47/1क	0.415	0.088
66	0.142	0.032
67/2	0.405	0.058
68	1.635	0.150
70	1.185	0.111
71	1.206	0.203
86	3.587	0.320
91	4.194	0.150
92	0.891	0.182
100	3.226	0.147
101	0.384	0.063
109	0.210	0.014
126/2	0.243	0.096
126	0.591	0.084
126	0.703	0.106
129/1क/1	1.000	0.014
कुल अर्जित रकबा . .	<u>27.087</u>	<u>2.252</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम—महोरा (नहर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.292 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अजर्नीय रकबा (3)
(1)	(2)	(3)
10/1	0.696	0.061
9	6.851	0.122
1	3.237	0.158
24	3.441	0.310
24/4	0.607	0.100
23	2.229	0.183
52	0.829	0.119
54	1.416	0.168
55/2	0.138	0.020
84/344	0.154	0.089
56	1.519	0.534
57	0.506	0.090
64/3	1.064	0.187
84/1	0.906	0.151
कुल अर्जित रकबा . .	<u>23.593</u>	<u>2.292</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5298-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा

प्र. क्र. 5298-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि

की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

(ग) ग्राम—पालाडोगरी माइनर 1 (नहर)

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.834 हेक्टर.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अजर्नीय रकबा
(1)	(2)	(3)
(क) जिला—अनूपपुर		
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़		
(ग) ग्राम—पालाडोगरी (नहर)		
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.078 हेक्टर.		
26	1.619	0.083
27	0.202	0.012
28/3क	0.809	0.057
28/3ख	0.405	0.057
28/4क	0.607	0.133
30	4.293	0.117
36	2.557	0.210
45	3.236	0.209
46	0.719	0.018
52	0.404	0.008
58	1.173	0.100
74	0.381	0.074
कुल अर्जित रकबा . .	<u>16.405</u>	<u>1.078</u>

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अजर्नीय रकबा
(1)	(2)	(3)
28/3क	0.809	0.008
28/3ख	0.405	0.018
75	0.664	0.050
77/2	0.716	0.086
81/2	0.891	0.060
82	0.559	0.014
83/1	0.186	0.012
86	0.696	0.030
89/3	1.619	0.030
90	1.902	0.130
92	1.538	0.078
93	1.821	0.108
94	1.781	0.120
188/383	1.019	0.068
189	0.214	0.022
कुल अर्जित रकबा . .	<u>14.820</u>	<u>0.834</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5298-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

प्र. क्र. 5298-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

(ग) ग्राम—पालाडोगरी माइनर 2 (नहर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.513 हेक्टर.

(ग) ग्राम—कस्तूरी टेल माइनर (नहर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.607 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अजर्नीय रकबा
(1)	(2)	(3)
58	1.173	0.052
59	0.546	0.052
60/2	0.316	0.026
61	1.380	0.068
62/1	0.194	0.018
123	1.408	0.018
124	0.247	0.030
125	0.202	0.018
127/2	0.109	0.018
128/1	0.145	0.016
129	0.575	0.050
166/1	0.469	0.051
168	0.401	0.032
169/1	0.110	0.026
170	0.595	0.014
221/1ख	0.894	0.024
कुल अर्जित रकबा . .	<u>8.764</u>	<u>0.513</u>

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अजर्नीय रकबा
(1)	(2)	(3)
21/1ख	0.202	0.010
22	2.242	0.171
30	0.808	0.046
31	2.230	0.050
34	0.405	0.090
50	0.506	0.012
51/2	0.809	0.072
54	2.080	0.004
57/2	0.142	0.026
58	0.498	0.036
60	1.522	0.016
65	0.582	0.038
67	0.660	0.012
76/2	0.405	0.024
कुल अर्जित रकबा . .	<u>13.091</u>	<u>0.607</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम—झिलमिला (डूब क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—48.318 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अजर्नीय रकबा
(1)	(2)	(3)
26	1.433	0.792

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
27	0.312	0.312	63	0.028	0.028
28/1	0.101	0.101	65/1	0.117	0.117
28/2क	0.061	0.061	65/2	0.162	0.162
28/2ख	0.101	0.101	66	0.045	0.045
29	0.348	0.348	67	1.712	1.712
30/1क	1.724	0.809	69/1	4.606	0.405
30/1ख	2.225	1.821	कुल रकबा निजी भूमि	60.964	48.318
30/2	1.214	0.809			
31	1.214	1.214	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.		
32	2.748	2.748	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.		
34	2.072	2.072			
35/1क	0.324	0.324			
35/1ख	0.397	0.397			
35/1ग	0.405	0.405			
35/2	1.032	1.032			
36/1	1.092	1.092			
36/2	0.008	0.008			
37	0.320	0.320			
28	0.841	0.841			
39/1	1.092	1.092			
39/2क	0.069	0.069			
39/2ख	1.214	1.214			
39/2ग	1.023	1.023			
39/3क	0.809	0.809			
39/3ख	0.405	0.405			
40	0.971	0.971			
41	0.470	0.470			
42	2.076	2.076			
45	0.125	0.036			
49	3.407	0.323			
50	1.724	1.724			
51	1.951	1.316			
56	2.003	1.520			
57/2	0.809	0.809			
58	4.836	4.836			
59	0.097	0.097			
60/1	4.709	4.709			
60/2	4.757	4.757			
61/1	1.809	0.020			
61/2	1.808	1.808			
62	0.158	0.158			

प्र. क्र. 5299-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम—मेडियारास (डूब क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—15.420 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अजर्नीय रकबा
(1)	(2)	(3)
149	8.522	0.303
151	4.760	0.688
152	0.413	0.202
153	0.413	0.020
155	1.586	1.554
156	2.845	2.845
157	3.893	3.893
158	2.047	2.047
160	1.246	1.246

(1)	(2)	(3)
164	0.223	0.223
166/1	3.488	0.121
182/4	0.506	0.506
182/11	1.619	1.619
240	1.631	0.153
कुल अर्जित रकबा ...	<u>33.192</u>	<u>15.420</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम—फरहदा (डूब क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—3.014 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
52/2	2.023	1.237
58	2.816	0.776
59	1.801	1.001
कुल अर्जित रकबा ...	<u>6.640</u>	<u>3.014</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम—फरहदा (स्पिल)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—4.395 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
58	2.816	0.390
59	1.801	0.800
60	1.125	0.650
61	3.354	2.280
66/119	2.312	0.275
कुल अर्जित रकबा ...	<u>11.408</u>	<u>4.395</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

- (ग) ग्राम—झिलमिला (नहर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.515 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
78/1क	1.229	0.515
कुल अर्जित रकबा . .	1.229	0.515

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम—बीजापुरी (नहर आर. बी. सी.)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—4.318 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
104	6.508	0.245
107	2.464	0.297
108	8.436	0.603
109	1.433	0.275
128	0.898	0.272
129	1.420	0.042
106	1.449	0.061
132	0.329	0.012
136	2.011	0.474
140	0.397	0.088
144	0.713	0.423
149	0.534	0.138
375	1.684	0.286
377	1.914	0.183
378	0.603	0.094
156	1.096	0.009
370	2.347	0.177
371	0.640	0.081
607	0.219	0.058

प्र. क्र. 5299-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम—फरहदा (नहर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.261 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
60/2	0.263	0.052
66	8.357	0.771
109/2	2.229	0.410
109/4	1.214	0.306
114/2	0.636	0.200
114/3	1.752	0.199
114/4	1.214	0.165
114/8	0.809	0.075
114/9	0.809	0.083
कुल अर्जित रकबा . .	17.283	2.261

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
343	5.063	0.397	69	0.708	0.106
255	1.991	0.103	68	1.697	0.314
कुल रकबा निजी भूमि	42.149	4.318	388	3.505	0.046
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.			422	1.626	0.302
			51	0.668	0.092
			50	0.093	0.039
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.			429	4.412	0.349
			694	9.208	0.605
			761/1	0.809	0.075
			761/3	0.809	0.049
			762	1.809	0.081
			765	2.493	0.159
			768	3.800	0.074
			771	1.274	0.041
			772	1.732	0.093
			778	3.106	0.123
			776	1.335	0.076
			777	1.554	0.152
			834	3.704	0.021
			835	5.742	0.040
			कुल रकबा निजी भूमि	66.718	4.357

प्र. क्र. 5299-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
 (ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
 (ग) ग्राम—कछराटोला (मुख्य नहर एल.बी.सी.)
 (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—4.357 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
103	0.862	0.052
140	1.375	0.237
139/1	0.788	0.098
139/2	0.526	0.097
137	1.645	0.195
135/2	0.413	0.011
135/1	0.409	0.011
136	0.271	0.067
133	3.631	0.187
133	2.245	0.240
78	0.673	0.016
73	0.838	0.061
71	2.958	0.248

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
 (ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
528	1.132	0.061
529	0.674	0.036
531	1.554	0.108
532	1.384	0.065
545	0.599	0.037
544	0.676	0.056
540	3.707	0.270
562	1.254	0.172
570	0.667	0.040
571	0.146	0.018
572	0.668	0.069
577	1.376	0.132
कुल रकबा निजी भूमि . .	13.837	1.064

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम—पालाडिंगवार (एल.बी.सी. मुख्य नहर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.263 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
258	1.211	0.043
259	1.334	0.084

(1)	(2)	(3)
262	1.711	0.105
266	0.991	0.031
कुल रकबा निजी भूमि . .	5.247	0.263

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 सितम्बर 2016

पत्र क्र. 2153-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—बेलवा पैकान 396
(घ) क्षेत्रफल—1.756 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

1841	0.021
1842	0.088
1844	0.033
1807	0.045
1806	0.048

(1)	(2)
1805	0.091
1860	0.021
1861	0.057
1862	0.027
1863	0.029
1864	0.007
1866	0.015
1865	0.043
1870	0.067
1871	0.076
1998	0.006
1873	0.001
1995	0.074
1994	0.069
1880	0.047
2495/1885	0.042
1993	0.015
1885	0.006
1887	0.075
1939	0.015
1937	0.047
1938	0.050
1950	0.001
1935	0.060
1934	0.047
1891	0.033
1894	0.069
2514	0.001
1895	0.036
1721	0.099
1897	0.019
1720	0.184

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.664

ब—म. प्र. शासन की भूमि

1830	0.017
1779	0.075

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.092

अ+ब का योग योग . . . 1.756

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2155-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—नवागांव 312
- (घ) क्षेत्रफल—3.431 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

458	0.121
450	0.066
452	0.067
451	0.010
446	0.066
447	0.003
419	0.161
416	0.085
396	0.046
391	0.124
395	0.030
394	0.002
386	0.064
231	0.131
230	0.008
235	0.126
236	0.002

(1)	(2)
355	0.011
245	0.008
358	0.056
357	0.068
356	0.038
243	0.299
244	0.035
116	0.284
114	0.140
75	0.095
74	0.193
252	0.006
73	0.238
354	0.038
361	0.057
351	0.061
352	0.009
322	0.011
321	0.128
316	0.140
267	0.129
266	0.143
265	0.009
263	0.001
264	0.078
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>3.387</u>
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
390	0.018
184	0.026
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.044</u>
अ+ब का योग . .	<u>3.431</u>

पत्र क्र. 2157-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—आंवी 27
(घ) क्षेत्रफल—2.195 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1243	0.036
1240	0.019
1241	0.024
1238	0.005
1239	0.050
1236	0.038
1235	0.073
1233	0.025
1226	0.004
1232	0.020
1227	0.001
1201	0.108
1200	0.039
1199	0.048
1178	0.095
1168	0.043
1166	0.036
1150	0.039
1147	0.001
1146	0.079
1143	0.042
1138	0.040
1119	0.028
1118	0.068
1117	0.025
1115	0.035
1113	0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)
1112	0.022
1111	0.052
1060	0.031
1052	0.001
1061	0.002
1058	0.053
1057	0.052
715	0.049
714	0.024
713	0.025
712	0.007
593	0.019
594	0.010
595	0.025
600	0.007
1059	0.001
602	0.015
599	0.033
603	0.014
683	0.036
684	0.012
685	0.046
686	0.034
687	0.010
678	0.024
677	0.002
676	0.078
675	0.002
645	0.043
646	0.001
643	0.050
642	0.007
641	0.041
558	0.208
559	0.023
560	0.024
430	0.080
1113	0.001
625	0.008
626	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 2.195

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 2.195

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2159-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—ढाढ़र 248
(घ) क्षेत्रफल—0.820 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

368	0.001
369	0.005
371	0.202
372	0.009
376	0.010
375	0.020
374	0.064
323	0.021
322	0.115
321	0.005
326	0.003
328	0.031
373	0.012
327	0.085
329	0.047
303	0.010
302	0.147
304	0.007

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.794

(1)	(2)	(1)	(2)
		911	0.031
ब—म. प्र. शासन की भूमि		1076	0.003
367	0.026	916	0.001
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.026	915	0.058
		918	0.003
अ+ब का योग . .	0.820	919	0.078
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—“बहुती		924	0.001
नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6” में आने वाली निजी/		925	0.012
शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		936	0.001
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं		935	0.096
पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया		947	0.018
जा सकता है.		826	0.131
		825	0.002
पत्र क्र. 2161-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को		786	0.020
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		787	0.092
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि		303	0.079
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन		302	0.108
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का		301	0.040
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा		258	0.059
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित		256	0.004
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		257	0.019
		259	0.034
अनुसूची		260	0.043
(1) भूमि का वर्णन—		262	0.016
(क) जिला—रीवा		261	0.049
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान		291	0.011
(ग) ग्राम—कुइयां खुर्द 93		265	0.001
(घ) क्षेत्रफल—4.627 हेक्टेयर.		290	0.081
खसरा	अर्जित रकबा	289	0.041
नम्बर	(हेक्ट. में)	264	0.033
(1)	(2)	279	0.002
अ—निजी पट्टे की भूमि		280	0.068
		284	0.001
1236	0.149	283	0.131
1233	0.330	167	0.021
1231	0.275	166	0.010
1232	0.017	165	0.009
1151	0.105	164	0.124
1152	0.052	131	0.097
1046	0.248	132	0.066
1044	0.040	159	0.043
1045	0.133	134	0.040
1040	0.099	136	0.005
1039	0.180	137	0.029
903	0.070	85	0.024
		86	0.084

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—महगना 514
(घ) क्षेत्रफल—1.399 हेक्टेयर.

खसरा अर्जित रकबा
नम्बर (हेक्ट. में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

115	0.032
117	0.048
116	0.100
119	0.079
123	0.017
125	0.001
120	0.003
124	0.271
189	0.039
187	0.176
132	0.057
186	0.001
133	0.105
135	0.096
148	0.001
149	0.033
150	0.173
152	0.167

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.399

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 1.399

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6” के ब्रान्च माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2163-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

पत्र क्र. 2165-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—देवगांव-286

(घ) क्षेत्रफल—5.395 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

1169	0.011
1435	0.196
1433	0.095
1174	0.269
1180	0.036
1179	0.027
1182	0.077
1183	0.067
1189	0.024
1188	0.001
1187	0.040
1195	0.056
1196	0.067
1197	0.036
1200	0.097
988	0.002
989	0.001
987	0.130
986	0.066
975	0.048
974	0.033
976	0.012
977	0.058
971	0.026
967	0.106
968	0.016
964	0.109
955	0.101
954	0.006
953	0.018

(1)	(2)
952	0.126
951	0.007
945	0.001
934	0.178
889	0.003
890	0.048
933	0.014
899	0.007
930	0.028
900	0.026
929	0.024
905	0.055
906	0.041
908	0.080
434	0.001
910	0.040
911	0.029
913	0.048
914	0.025
915	0.029
433	0.002
429	0.035
430	0.174
431	0.013
432	0.049
1194	0.042
1193	0.035
1202	0.003
1411	0.081
1412	0.014
1410	0.009
1409	0.013
1383	0.066
1386	0.079
1372	0.043
1371	0.024
1369	0.022
1368	0.006
1370	0.020
1367	0.001
1366	0.067
1365	0.052
1352	0.005
1353	0.111
1354	0.011
1339	0.002

(1)	(2)	(1)	(2)
800	0.005	806	0.022
526	0.100	803	0.024
527	0.008	802	0.017
525	0.001	782	0.030
529	0.071	783	0.018
530	0.013	799	0.013
392	0.034	520	0.010
382	0.083	532	0.041
383	0.001	394	0.071
380	0.072	393	0.011
379	0.004	381	0.002
377	0.003	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	5.130
376	0.041	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
373	0.013		
374	0.035	1432	0.025
372	0.007	1199	0.026
371	0.002	973	0.002
367	0.055	909	0.090
366	0.004	435	0.108
364	0.001	290	0.014
365	0.008	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.265
600	0.001	अ+ब का योग . .	5.395
294	0.054	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
292	0.009	नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6” के ब्रान्च माइनर	
291	0.087	एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि	
300	0.008	एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
288	0.096	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं	
287	0.006	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
286	0.005	जा सकता है.	
277	0.007		
276	0.008		
272	0.051	पत्र क्र. 2167-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को	
270	0.052	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
985	0.043	(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
993	0.043	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
984	0.002	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
994	0.025	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा	
995	0.045	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित	
998	0.057	सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	
982	0.005	अनुसूची	
981	0.001	(1) भूमि का वर्णन—	
809	0.010	(क) जिला—रीवा	
810	0.037	(ख) तहसील—मनगवां	
808	0.017		
805	0.021		

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
317	0.156
171	0.181
170	0.085
172	0.001
169	0.013
168	0.079
167	0.075
166	0.044
165	0.032
164	0.053
163	0.092
158	0.040
157	0.041
156	0.008
151	0.087
152	0.006
119	0.006
118	0.171
117	0.011
115	0.407
114	0.014
64	0.001
56	0.080
55	0.085
57	0.066
10	0.201
8	0.084
9	0.046
7	0.001
5	0.024
4	0.106
3	0.053
2	0.232
65	0.022
66	0.016
46	0.010
45	0.017
44	0.144
32	0.017
31	0.069
33	0.006

(1)	(2)
(ग) ग्राम—सेमरी कला 617	
(घ) क्षेत्रफल—2.886 हेक्टेयर.	34
	12
	0.003
	0.001
	<u>2.886</u>

ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
	<u>2.886</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2169-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगावां
(ग) ग्राम—उलही कला 53
(घ) क्षेत्रफल—0.769 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
256	0.014
258	0.006
259	0.238
272	0.023
260	0.108
261	0.099
257	0.030
249	0.211
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.729</u>

(1)	(2)	(1)	(2)
ब—म. प्र. शासन की भूमि		820	0.047
273	0.040	821	0.010
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.040	824	0.095
अ+ब का योग . .	0.769	825	0.075
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती		743	0.173
नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/		746	0.005
शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		747	0.047
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं		745	0.104
पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया		528	0.038
जा सकता है.		527	0.065
		530	0.033
		526	0.046
		525	0.032
		524	0.033
पत्र क्र. 2171-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को		478	0.279
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		479	0.244
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि		403	0.107
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन		400	0.022
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का		429	0.016
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा		428	0.013
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित		404	0.142
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		426	0.006
		425	0.003
		424	0.011
		409	0.102
		402	0.002
		405	0.021
		406	0.047
		407	0.067
		408	0.076
		146	0.012
		147	0.089
		128	0.306
		127	0.001
		125	0.037
		126	0.183
		34	0.148
		35	0.081
		36	0.177
		37	0.126
		2	0.260
		1	0.325
		953	0.042
		948	0.009
		952	0.002
		949	0.003
		939	0.002

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—हर्दी 630

(घ) क्षेत्रफल—6.149 हेक्टेयर.

खसरा अर्जित रकबा

नम्बर (हेक्ट. में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

1022 0.562

1023 0.014

1020 0.168

1018 0.029

1019 0.116

980 0.001

963 0.028

962 0.577

955 0.022

957 0.099

954 0.164

819 0.012

(1)	(2)
942	0.006
941	0.012
940	0.015
927	0.001
922	0.005
923	0.001
909	0.039
921	0.003
920	0.006
911	0.008
910	0.022
899	0.011
903	0.008
900	0.017
898	0.007
901	0.010
902	0.022
890	0.018
912	0.001
5	0.333
979	0.001
977	0.029

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 6.131

ब—म. प्र. शासन की भूमि

6	0.018
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>0.018</u>

अ+ब का योग . . . 6.149

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2173-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—सतगढ़ 580
(घ) क्षेत्रफल—0.063 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

1	0.013
2	0.023
3	0.013
13	0.014
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	<u>0.063</u>

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . . .	<u>0.063</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2175-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—महुआ 498	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—2.217 हेक्टेयर.	708	0.006
खसरा अर्जित रकबा	359	0.056
नम्बर (हेक्ट. में)	337	0.012
(1) (2)	336	0.021
अ—निजी पट्टे की भूमि	334	0.028
	335	0.016
197	332	0.013
198	339	0.004
202	340	0.038
201	341	0.037
211	342	0.008
210	343	0.051
888	344	0.001
889	31	0.008
891	980	0.379
942	979	0.030
892	978	0.002
893	338	0.001
894		
913		
849		
905	203	0.014
909	987	0.017
851	885	0.008
857		
854		
855		
856		
811		
812		
810		
809		
801		
800		
799		
798		
792		
791		
790		
789		
698		
785		
784		
713		
712		
709		
707		

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 2.178

ब—म. प्र. शासन की भूमि

203 0014
987 0.017
885 0.008
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.039

अ+ब का योग . . . 2.217

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 के ब्रांच माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2177-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—पलिया 352	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—8.957 हेक्टेयर.	509	0.012
खसरा	507	0.066
अर्जित रकबा	506	0.103
नम्बर	532	0.006
(1)	533	0.033
अ—निजी पट्टे की भूमि	393	0.041
1110	392	0.074
1108	389	0.006
1097	390	0.034
1096	348	0.006
1073	388	0.022
1074	349	0.047
1072	524	0.001
1071	350	0.016
1054	352	0.048
1055	353	0.055
1005	354	0.111
1008	216	0.208
1006	215	0.035
1007	220	0.022
985	219	0.146
984	214	0.004
986	176	0.189
983	177	0.079
900	181	0.002
841	153	0.050
901	152	0.196
899	130	0.251
902	131	0.080
903	129	0.008
916	128	0.017
911	132	0.005
915	118	0.064
914	116	0.063
931	117	0.008
929	75	0.212
927	74	0.011
926	53	0.249
840	52	0.011
845	45	0.008
844	44	0.089
523	58	0.001
519	43	0.115
843	35	0.001
522	42	0.013
521	37	0.029
528		0.103

- (ग) ग्राम—उलही खुर्द 55
(घ) क्षेत्रफल—0.873 हेक्टेयर.

- (ग) ग्राम—रघुराजगढ़ 574
(घ) क्षेत्रफल—1.002 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

56	0.050
58	0.080
21	0.207
24	0.003
23	0.067
22	0.001
19	0.089
27	0.260
16	0.014
8	0.102

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.873

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.873

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2181-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

895	0.022
894	0.200
892	0.002
43	0.047
44	0.086
7	0.065
4	0.038
5	0.197
9	0.023
424	0.136
425	0.009
426	0.029
434	0.010
421	0.107

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.971

ब—म. प्र. शासन की भूमि

893	0.006
1	0.025

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.031

अ+ब का योग . . . 1.002

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2183-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—पटेहरा 356	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—2.936 हेक्टेयर.	165	0.012
खसरा	26	0.043
नम्बर	25	0.005
(1)	29	0.041
अ—निजी पट्टे की भूमि	30	0.011
	31	0.006
403	36	0.014
402	23	0.036
401	13	0.038
400	18	0.031
399	16	0.047
398	201	0.023
397	202	0.071
316	209	0.022
396	205	0.010
395	206	0.017
321	207	0.030
322	208	0.018
394	234	0.011
323	235	0.052
343	238	0.052
326	237	0.043
342	246	0.001
327	159	0.054
325	157	0.036
329	152	0.033
333	140	0.001
334	138	0.020
195	139	0.019
196	132	0.019
198	131	0.003
200	130	0.003
193	133	0.003
194	129	0.002
192		
186		
185		
184		
182		
181		
183		
191		
187		
188		
172		
173		
170		
169		
168		
	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.932
	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
	0.235	0.004
	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.004
	अ+ब का योग . .	2.936
	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

पत्र क्र. 2185-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—मोहगढ़ 512
(घ) क्षेत्रफल—1.680 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
188	0.002
187	0.027
186	0.028
152	0.046
153	0.033
169	0.001
168	0.042
167	0.025
166	0.012
131	0.069
130	0.201
128	0.008
93	0.123
94	0.004
95	0.119
97	0.116
98	0.020
36	0.117
35	0.054
33	0.067
32	0.027
31	0.304
189	0.022
190	0.005
191	0.026

(1)	(2)
192	0.039
193	0.024
194	0.007
205	0.045
195	0.003
199	0.004
200	0.060

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.680

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 1.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2187-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—कांटी-84
(घ) क्षेत्रफल—0.841 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1261	0.037
1209	0.177
1210	0.001

(1)	(2)
1212	0.084
1211	0.057
1213	0.010
1222	0.028
1224	0.058
1223	0.028
1228	0.022
1231	0.038
1232	0.020
1234	0.021
1235	0.021
1237	0.025
1239	0.012
1238	0.025
1241	0.011
1242	0.013
1248	0.007
1247	0.013
1245	0.009
1246	0.021
1154	0.009
1155	0.049
1152	0.022
904	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.819

ब—म. प्र. शासन की भूमि

1153 0.022

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.022

अ+ब का योग . . . 0.841

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2189-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—दुअरा 270
(घ) क्षेत्रफल—0.526 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

29	0.202
27	0.007
28	0.058
26	0.008
35	0.134
7	0.055
3	0.058
6	0.003
31	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.526

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.526

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 11” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2191-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—सिलपरी 599		(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—3.047 हेक्टेयर.			
खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)		
अ—निजी पट्टे की भूमि		421	0.024
		422	0.006
		403	0.065
		402	0.108
		401	0.016
690	0.011	392	0.067
689	0.133	390	0.045
604	0.002	314	0.023
605	0.044	389	0.021
607	0.013	388	0.035
606	0.029	387	0.027
608	0.010	358	0.010
609	0.131	359	0.022
612	0.012	357	0.023
613	0.078	356	0.001
614	0.015	355	0.042
595	0.123	354	0.035
619	0.015	353	0.029
620	0.114	351	0.038
621	0.036	352	0.014
628	0.002	320	0.055
627	0.131	319	0.017
632	0.031	315	0.038
626	0.002	313	0.043
633	0.106	312	0.034
638	0.026	311	0.014
641	0.031	145	0.041
578	0.001	143	0.065
642	0.008	142	0.118
643	0.020	141	0.005
646	0.001	140	0.095
644	0.016	133	0.051
645	0.013	132	0.020
650	0.001	131	0.009
649	0.055	127	0.148
827	0.001	128	0.008
429	0.029	50	0.048
428	0.031	51	0.001
427	0.017	49	0.106
426	0.019	48	0.006
425	0.015	47	0.011
423	0.018		

(1)	(2)	(1)	(2)
46	0.015	132	0.030
45	0.012	131	0.047
24	0.011	130	0.117
23	0.085	156	0.242
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>3.047</u>	158	0.126
ब—म. प्र. शासन की भूमि		162	0.200
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>	161	0.199
अ+ब का योग . .	<u>3.047</u>	212	0.034
		211	0.008
		218	0.022
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 10” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		217	0.022
		342	0.116
		343	0.097
		354	0.006
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		344	0.190
		353	0.106
		352	0.254

पत्र क्र. 2193-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—अमवा 10
(घ) क्षेत्रफल—2.231 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
79	0.005
78	0.022
77	0.032
75	0.003
76	0.034
56	0.010
57	0.149
133	0.160

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 2.231

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000
अ+ब का योग . . 2.231

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 10 एवं 11” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2195-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—धवैया 289

(घ) क्षेत्रफल—2.247 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

321	0.348
341	0.021
342	0.140
343	0.109
346	0.006
351	0.021
352	0.021
353	0.022
354	0.015
355	0.120
356	0.014
357	0.133
358	0.003
359	0.018
333	0.014
360	0.024
361	0.048
362	0.005
274	0.026
275	0.022
276	0.054
278	0.100
279	0.008
262	0.114
261	0.004
243	0.019
242	0.072
260	0.005
244	0.010
223	0.117
208	0.002
209	0.143
63	0.106
62	0.076
61	0.039
60	0.080
56	0.106
55	0.034
61/546	0.008

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 2.227

(1)

(2)

ब—म. प्र. शासन की भूमि

54	0.020
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.020
अ+ब का योग . . .	2.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2197-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—दुअरा 272
(घ) क्षेत्रफल—0.456 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

37	0.005
36	0.020
35	0.028
34	0.048
33	0.018
23	0.033
22	0.014
19	0.013
18	0.015
17	0.046
13	0.033
12	0.037
9	0.044

(1)	(2)	(1)	(2)
8	0.033	31	0.008
2	0.009	41	0.004
5	0.001	42	0.021
4	0.023	43	0.026
1	0.024	44	0.050
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.444	56	0.084
		55	0.036
ब—म. प्र. शासन की भूमि		54	0.006
3	0.012	68	0.004
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.012	73	0.003
		72	0.039
अ+ब का योग . .	0.456	71	0.067
		88	0.024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		87	0.029
		81	0.021
		80	0.068
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		115	0.048
		119	0.137
		122	0.011
		123	0.095
		124	0.011
		143	0.002
		149	0.029
		144	0.009
		145	0.028
		283	0.100
		301	0.009
		292	0.020
		300	0.019
		299	0.064
		297	0.017
		296	0.057
		205	0.099
		(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.421
		(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0
		अ+ब का योग . .	1.421
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

पत्र क्र. 2199-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—जरहा 169
(घ) क्षेत्रफल—1.421 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
	अ—निजी पट्टे की भूमि
25	0.017
35	0.070
34	0.039
33	0.001
32	0.049

पत्र क्र. 2201-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—मनिकवार 520

(घ) क्षेत्रफल—3.200 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

1166	0.027	763	0.069
1165	0.281	741	0.052
1206	0.029	742	0.047
1207	0.021	743	0.001
1208	0.007	744	0.054
1205	0.064	745	0.037
1211	0.003	747	0.013
1204	0.033	748	0.013
1167	0.001	752	0.024
1203	0.016	753	0.004
1212	0.001	754	0.085
1213	0.052	755	0.009
1214	0.017	645	0.044
1256	0.001	644	0.031
1216	0.069	643	0.024
1217	0.085	626	0.045
1196	0.015	641	0.006
1198	0.003	637	0.006
1197	0.026	636	0.031
1178	0.053	635	0.008
1192	0.046	633	0.075
1179	0.072	220	0.105
1191	0.011	219	0.047
1180	0.098	208	0.043
1181	0.079	207	0.007

(1)	(2)
70	0.023
71	0.054
72	0.043
73	0.038
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.403
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
167	0.054
196	0.014
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.068
अ+ब का योग . .	1.471

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2205-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगावां
(ग) ग्राम—दुअरा 268
(घ) क्षेत्रफल—0.520 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

18	0.185
17	0.063
16	0.068
14	0.050
13	0.028

(1)	(2)
10	0.022
8	0.039
9	0.011
7	0.054
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.520
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.520

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2207-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगावां
(ग) ग्राम—दुअरा 275
(घ) क्षेत्रफल—0.816 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

133	0.001
131	0.216
129	0.098
111	0.055
110	0.048
109	0.002
106	0.055

(1)	(2)
107	0.092
100	0.128
99	0.116
95	0.005
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.816</u>

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . .	<u>0.816</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2209-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—अटरा कला 4
(घ) क्षेत्रफल—0.627 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

180	0.034
181	0.390
238	0.022
239	0.181
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.627</u>

ब—म. प्र. शासन की भूमि

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . .	<u>0.627</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2211-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—मिसिरगवां 476
(घ) क्षेत्रफल—0.712 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

111	0.017
110	0.028
109	0.025
108	0.035
76	0.133
75	0.036
74	0.032
73	0.001
50	0.023
49	0.030
47	0.016
46	0.023
34	0.054
33	0.055

(1)	(2)
30	0.050
5	0.010
6	0.050
9	0.016
10	0.078
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.712
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.712

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2213-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—नवागांव द्वाखरा-313
(घ) क्षेत्रफल—0.772 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

66	0.016
67	0.144
75	0.039
76	0.157
77	0.020
85	0.024

(1)	(2)
84	0.088
91	0.029
89	0.024
90	0.053
94	0.016
99	0.069
151	0.057
150	0.007
149	0.029
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.772

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.772

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2215-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—पिपरी 372
(घ) क्षेत्रफल—0.489 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

5	0.001
7	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
71	0.002	11	0.087
6	0.105	12	0.110
10	0.077	13	0.002
13	0.061	187/13	0.065
16	0.054	17	0.058
18	0.101	29	0.005
20	0.014	30	0.019
21	0.065	28	0.004
9	0.001	31	0.141
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.489</u>	43	0.113
ब—म. प्र. शासन की भूमि		42	0.010
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>	38	0.012
अ+ब का योग . .	<u>0.489</u>	40	0.001
		39	0.071

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.738

ब—म. प्र. शासन की भूमि

92 0.016

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.016

अ+ब का योग . . 0.754

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2217-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—पलिया 351
(घ) क्षेत्रफल—0.754 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

94	0.001
93	0.039

पत्र क्र. 2219-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—सोनारूपा-627

(घ) क्षेत्रफल—0.746 हेक्टेयर.

(ग) ग्राम—पलिया-349

(घ) क्षेत्रफल—0.683 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

125	0.023
126	0.007
132	0.101
133	0.045
100	0.010
84	0.099
99	0.143
153	0.011
154	0.124
98	0.012
152	0.171
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	
	0.746

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.746

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2221-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

अ—निजी पट्टे की भूमि

111	0.061
112	0.041
113	0.028
114	0.020
229	0.033
115	0.001
227	0.023
228	0.005
226	0.001
223	0.061
222	0.067
220	0.018
247	0.006
249	0.056
248	0.007
211	0.051
254	0.051
253	0.037
294/252	0.025
252	0.004
255	0.050
259	0.002
256	0.027
257	0.008

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.683

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.683

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2223-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—सोनारूपा 626
(घ) क्षेत्रफल—0.649 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
-------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

18	0.024
19	0.053
20	0.031
21	0.015
22	0.016
23	0.001
48	0.088
47	0.083
46	0.006
45	0.075
56	0.126
41	0.014
40	0.107
39	0.010

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.649

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.649

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2225-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—भमरा-468
(घ) क्षेत्रफल—0.398 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
-------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

26	0.002
27	0.049
25	0.036
24	0.006
13	0.092
14	0.128
5	0.058
4	0.007
23	0.002

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.380

ब—म. प्र. शासन की भूमि

21 0.018

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.018

अ+ब का योग . . . 0.398

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2227-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—दुअरा 273

(घ) क्षेत्रफल—1.546 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

17	0.162
43	0.055
42	0.191
44	0.003
45	0.005
46	0.004
9	0.020
48	0.020
50	0.041
52	0.016
53	0.001
61	0.072
60	0.065
59	0.070
234	0.146
231	0.091
181	0.006
182	0.077
183	0.005
184	0.024
179	0.021

(1)	(2)
176	0.008
177	0.080
178	0.002
175	0.004
144	0.042
145	0.024
174	0.015
173	0.005
171	0.009
170	0.032
147	0.023
148	0.090
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.429

ब—म. प्र. शासन की भूमि

47	0.080
180	0.037
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.117
अ+ब का योग . .	1.546

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 11 एवं 12” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2229-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

- (ग) ग्राम—अमवा 9
(घ) क्षेत्रफल—0.844 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

100	0.139
99	0.126
73	0.007
74	0.008
98	0.002
97	0.030
96	0.039
95	0.011
92	0.090
82	0.016
88	0.001
84	0.051
83	0.011
47	0.072
48	0.033
44	0.123
45	0.044
43	0.041

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.844

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.844

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 10” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—पतौला 343
(घ) क्षेत्रफल—0.669 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

66	0.003
58	0.065
67	0.130
72	0.015
63	0.048
62	0.064
61	0.052
60	0.132
59	0.160

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.669

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.669

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2231-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. 899-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016(भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री राजीव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली (मुख्यालय वैदण).	सिंगरौली (मुख्यालय वैदण).	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, जबलपुर की हैसियत से.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2016

क्र. E-2064-दो-2-15-2008.— श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10, 11 एवं 12 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-2066-दो-2-29-2009.— श्री शम्भूदयाल दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 16 से 20 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2016 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शम्भूदयाल दुबे, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2068-दो-2-4-2013.— श्री आर. के. जोशी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 11 से 17 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. E-2102-दो-3-44-2013.—श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 9 से 10 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो राजयादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. E-2104-दो-2-18-2008.—श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 6 से 9 सितम्बर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 एवं 5 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10, 11 एवं 12 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2110-दो-2-14-2013.—श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 19 से 20 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2112-दो-2-8-2012.—श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10, 11 एवं 12 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. A-3968-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10, 11 एवं 12 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3970-दो-2-24-2014.—श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10, 11 एवं 12 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3972-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्रीमती नरविन्दर वीर कौर कान्द्रा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 228 दिवस (दो सौ अट्ठाईस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्र. एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है:—

गणना-पत्रक

- श्रीमती नरविन्दर वीर कौर कान्द्रा, : 16-10-1985
सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र
न्यायाधीश, सीहोर का नियुक्ति
दिनांक.
- सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-8-2016
- नियुक्ति दिनांक 16-10-1985 : 01 वर्ष 04 माह
से दिनांक 9-3-87 तक कुल 23 दिन.
सेवा अवधि.

- दिनांक 10-3-1987 से : 29 वर्ष, 05 माह,
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 21 दिन.
कुल सेवा अवधि.
- कालम (3) में अंकित : $1 \times 15 = 15$ दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).
- कालम (4) में अंकित : $29 = 14 \times 15 = 210$ दिन
अवधि हेतु समर्पण $01 \times 07 = 07$ दिन
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
- कुल अर्जित अवकाश : 232 दिन
समर्पण की पात्रता.
- घटाइये:—सेवा के दौरान : निरंक
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
- सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 232 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2016 को शेष अर्जित अवकाश 228 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E-2210-दो-3-420-80-भाग बारह.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-3296, दिनांक 9 अगस्त 2016 के द्वारा श्री रणजीत सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 187 दिवस (एक सौ सत्तासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी. रजिस्ट्री के उक्त आदेश के संलग्न गणना पत्रक के अनुसार नियुक्ति दिनांक से कंडिका क्रमांक (3) में दिनांक 9 मार्च

1987 के पूर्व 10 माह की सेवा किये जाने एवं कंडिका क्रमांक (4) में दिनांक 10 मार्च 1987 के पश्चात् 3 माह की सेवा किये जाने के फलस्वरूप 1 वर्ष के अवकाश नगदीकरण की पात्रता और होने के कारण रजिस्ट्री के उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में 08 दिवस (आठ दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए और समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्र. एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है:—

गणना-पत्रक

1. श्री रणजीत सिंह, : 11-4-1983
सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र
न्यायाधीश, विदिशा का नियुक्ति
दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-6-2016
3. नियुक्ति दिनांक 11-4-1983 : 03 वर्ष 10 माह
से दिनांक 9-3-87 तक कुल
सेवा अवधि. 28 दिन.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 29 वर्ष, 03 माह,
सेवानिवृत्ति दिनांक तक
कुल सेवा अवधि. 20 दिन.
5. कालम (3) में अंकित : 3×15=45 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 30=15×15=225 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 270 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 75 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 195 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E-2230-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 22 से 24 अगस्त 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2232-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्रीमती कनकलता सोनकर, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश 179 दिवस (एक सौ उन्नीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्र. एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1. श्रीमती कनकलता सोनकर, : 05-03-1983
सेवानिवृत्त, प्रधान न्यायाधीश
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश),
कुटुंब न्यायालय, जबलपुर का
नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-8-2016
3. नियुक्ति दिनांक 5-3-1983 से दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि. : 04 वर्ष 04 दिन
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 29 वर्ष, 05 माह, 21 दिन.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से). : 4×15=60 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से). : 29=14×15=210 दिन
1×7=7 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 277 दिन
8. घटाइये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 15 दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 262 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-8-2016 को शेष अर्जित अवकाश 179 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. 901-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, सीहोर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ, करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया को सीहोर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 1st September 2016

No. C-3492.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Court of Shri B. K. Paloda, IV Additional Sessions Judge, Indore for trial of cases relating to offences investigated by the Central Bureau of Investigation in supersession of all its earlier notifications in this regard.

No. C-3494-III-6-4-57.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri Rupesh Kumar Gupta, Additional Chief Judicial Magistrate, Indore as Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate (First Class) for CBI cases, established by the Government of Madhya Pradesh vide Notification No. F-1-5-96-XXI-B(1), dated 3rd March, 2011 for the areas comprising of the districts Indore, Bhopal, Raisen, Sehore, Dewas, Shajapur, Dhar, Khandwa, Rajgarh, Jhabua, Mandsaur, Neemuch, Ratlam, Ujjain, Mandleshwar, Gwalior, Bhind, Datia, Guna, Morena, Shivpuri, Vidisha, Barwani, Burhanpur, Ashok Nagar, Alirajpur, Sheopur and Harda for trial of cases relating to offences investigated by the Central Bureau of Investigation in supersession of all its earlier notifications in this regard.

The Headquarter of the Court shall be at Indore.

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, O.S.D. (D.E.).